सत्यमेव जयते	**राजस्थान राज–पत्र विशेषांक**	***RAJASTHAN GAZETTE*** Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	ज्येष्ठ 1, मंगलवार, शाके 1934–मई 22, 2012 *Jyaistha 1, Tuesday, Saka 1934–May 22, 2012*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 22, 2012

संख्या प. 2 (27) विधि/2/2012.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 21 मई, 2012 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 21)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 21 मई, 2012 को प्राप्त हुई]

उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता, बोली लगाने वालों के उचित एवं साम्यापूर्ण व्यवहार, प्रतियोगिता में अभिवृद्धि करने, दक्षता और मितव्ययिता को बढ़ाने और सत्यनिष्ठा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्यों सहित लोक उपापन और इससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के विनियमन के लिए अधिनियम।

यत: राज्य सरकार लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदारी और ईमानदारी के उच्चतम स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए और लोक उपापन में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए इसे आवश्यक मानती है।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. सक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारम्भ के सम्बन्ध में ऐसे किसी उपबंध के किसी निर्देश से यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवर्तन के प्रति कोई निर्देश है।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "बोली" से किसी उपापन संस्था द्वारा किसी आमंत्रण के अनुसरण में किया गया कोई औपचारिक प्रस्ताव अभिप्रेत है और इसमें कोई निविदा, प्रस्थापना या कोटेशन सम्मिलित है;

(ii) "बोली लगाने वाला" से किसी उपापन संस्था के साथ किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(iii) "बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज" से किसी उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये दस्तावेज, ऐसे किन्हीं संशोधनों को सम्मिलित करते हुए, जो रजिस्ट्रीकरण कार्यवाहियों के निबंधन और शर्तें उपवर्णित करें, अभिप्रेत हैं और इसमें रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आमंत्रण सम्मिलित है;

(iv) "बोली दस्तावेज" से उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये दस्तावेज, ऐसे किन्हीं संशोधनों को सम्मिलित करते हुए, जो किये गये उपापन के निबंधन और शर्तें उपवर्णित करें, अभिप्रेत हैं और इसमें बोली के लिए आमंत्रण सम्मिलित है;

(v) "बोली की प्रतिभूति" से बोली के दस्तावेजों के उपबंधों के निबंधनानुसार किसी बाध्यता की पूर्ति को प्रतिभूत करने के लिए किसी बोली लगाने वाले द्वारा उपापन संस्था को उपलब्ध करायी गयी कोई प्रतिभूति अभिप्रेत है;

(vi) "इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम" से उपापन संस्था द्वारा सफल अनुरोध को चयनित करने के लिए उपयोग की गयी ऑनलाइन वास्तविक-समय क्रय तकनीक अभिप्रेत है जिसमें बोली लगाने वालों द्वारा नियत समय की कालावधि के दौरान

क्रमवर्ती रूप से कम होती हुई बोलियों के संबंध में प्रस्तुति और बोलियों का स्वचालित मूल्यांकन अन्तर्वलित है;

(vii) "माल" में समस्त वस्तुएं, सामग्री, विक्रयवस्तुएं, विद्युत, पशुधन, फर्नीचर, फिक्सचर, कच्ची सामग्री, स्पेअर, उपकरण, साफ्टवेअर, मशीनरी, उपस्कर, औद्योगिक संयंत्र, यान, वायुयान, जलयान, रेलवे रॉलिंग स्टॉक और माल का कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वह ठोस, तरल, या गैसीय रूप में हो, किसी उपापन संस्था के उपयोग के लिए क्रय किया गया हो या अन्यथा अर्जित किया गया हो साथ ही माल के प्रदाय से आनुषंगिक सेवाएं या संकर्म, यदि ऐसी सेवाएं या संकर्म या दोनों का मूल्य स्वयं उस माल के मूल्य से अधिक न हो, सम्मिलित हैं;

(viii) "बोली लगाने के लिए आमंत्रण" से उपापन संस्था द्वारा उपापन की विषयवस्तु और उसके किसी संशोधन के सम्बन्ध में बोलियां आमंत्रित करते हुए प्रकाशित कोई दस्तावेज अभिप्रेत है और इसमें निविदा आमंत्रित करने वाला नोटिस और प्रस्थापना के लिए अनुरोध सम्मिलित है;

(ix) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(x) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(xi) "पूर्व-अर्हता" से बोलियां आमंत्रित करने से पूर्व, ऐसे बोली लगाने वालों की, जो अर्हित हैं, पहचान करने की उपवर्णित प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(xii) "पूर्व-अर्हता के दस्तावेज" से उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये दस्तावेज, जिसमें ऐसे किन्हीं संशोधनों को सम्मिलित करते हुए जो पूर्व-अर्हता की कार्यवाहियों के निबंधन और शर्तें उपवर्णित करें, अभिप्रेत हैं और इसमें अर्हित होने से पूर्व का आमंत्रण सम्मिलित है;

(xiii) "उपापन" या "लोक उपापन" से किसी उपापन संस्था द्वारा चाहे प्रत्यक्षत: या किसी अभिकरण, जिसके साथ उपापन सेवाओं के लिए कोई संविदा की गयी है, के माध्यम से

लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अधिनिर्णय सहित संकर्म, माल या सेवाओं के क्रय, पट्टे, अनुज्ञप्ति या अन्यथा द्वारा अर्जन अभिप्रेत है, किन्तु इसमें प्रतिफल के बिना अर्जन सम्मिलित नहीं है, और "उपाप्त करना" या "उपाप्त" का अर्थान्वयन तदनुसार किया जायेगा;

(xiv) "उपापन संविदा" से उपापन संस्था और किसी सफल बोली लगाने वाले के बीच उपापन की विषयवस्तु के सम्बन्ध में की गयी संविदा अभिप्रेत है;

(xv) "उपापन प्रक्रिया" से अर्हित होने से पूर्व का आमंत्रण जारी होने से या रजिस्ट्रीकृत किये जाने या बोली लगाये जाने से विस्तारित होकर उपापन संविदा के अधिनिर्णय या, यथास्थिति, उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण तक, उपापन की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(xvi) "उपापन संस्था" से धारा 3 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई संस्था अभिप्रेत है;

(xvii) "लोक निजी भागीदारी" से किसी विनिर्दिष्ट समय की कालावधि के लिए प्राइवेट सेक्टर संस्था द्वारा किये जा रहे विनिधान या जिम्मे लिये जा रहे प्रबंध या दोनों के माध्यम से लोक आस्तियों या लोक सेवाओं या दोनों के लिए एक ओर राज्य सरकार, कानूनी संस्था या सरकार के स्वामित्वाधीन कोई अन्य संस्था और दूसरी ओर किसी प्राइवेट सेक्टर संस्था के बीच, जहां प्राइवेट सेक्टर और राज्य सरकार, कानूनी संस्था या, यथास्थिति, सरकार के स्वामित्वाधीन किसी अन्य संस्था के बीच जोखिम का सुपरिभाषित आबंटन हो, और प्राइवेट संस्था कार्य आधारित संदाय प्राप्त करती हो जो विनिर्दिष्ट और पूर्वावधारित कार्य मानकों के अनुरूप (या बेंचमार्क का) हो, राज्य सरकार, कानूनी संस्था या सरकार के स्वामित्वाधीन किसी अन्य संस्था, या, यथास्थिति, उसके प्रतिनिधि द्वारा अनुमान योग्य हो, कोई इंतजाम अभिप्रेत है;

(xviii) "दर संविदा" से किसी उपापन संस्था और एक या अधिक बोली लगाने वालों के बीच कोई करार अभिप्रेत है जो किसी आवर्ती आधार पर अपेक्षित उपापन की किसी विषयवस्तु के प्रदाय के लिए कीमत सहित निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करे;

(xix) "रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाला" से ऐसा कोई बोली लगाने वाला अभिप्रेत है जो उपापन संस्था की धारा 19 के अधीन संधारित रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची में है;

(xx) "सेवा" से माल या संकर्म से भिन्न उपापन की कोई विषयवस्तु अभिप्रेत है और इसमें शारीरिक, अनुरक्षण, वृत्तिक, बौद्धिक, परामर्श और सलाहकारी सेवाएं या कोई सेवा, जो किसी उपापन संस्था द्वारा इस प्रकार वर्गीकृत या घोषित हो, सम्मिलित है और इसमें उपापन संस्था द्वारा की गयी किसी व्यक्ति की नियुक्ति सम्मिलित नहीं है;

(xxi) "उपापन की विषयवस्तु" से उपापन की कोई भी मद अभिप्रेत है चाहे वह माल, सेवा या संकर्म के रूप में हो;

(xxii) "संकर्म" से सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, स्थल तैयारी, विध्वंस, मरम्मत, अनुरक्षण, या नवीकरण या रेलवे, सड़क, राजमार्ग या कोई भवन, कोई अवसंरचना, या ढ़ांचा या कोई प्रतिष्ठापन या उत्खनन से संबंधित कोई सन्निर्माण कार्य, ड्रिल करना, उपस्कर का प्रतिष्ठापन और सामग्री साथ ही संकर्म से आनुषंगिक सेवाएं अभिप्रेत हैं यदि ऐसी सेवाओं का मूल्य स्वयं उन संकर्मों के मूल्य से अधिक न हो।

3. लागू होना.- (1) यह अधिनियम उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समस्त उपापन संस्थाओं पर लागू होगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "उपापन संस्था" से,-

(क) राज्य सरकार का कोई भी विभाग या इससे संलग्न या उसका अधीनस्थ कार्यालय;

(ख) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई भी राज्य पब्लिक सेक्टर उद्यम;

(ग) संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई भी निकाय जिसके व्यय की पूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है;

(घ) राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये) या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निकाय;

(ङ)कोई अन्य संस्था जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी उपापन संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट करे, जो ऐसी संस्था होने के कारण, जहां तक उपापन के पेटे ऐसी सहायता के उपयोग का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से सारवान् वित्तीय सहायता प्राप्त करती हो,

अभिप्रेत है।

(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध किसी करार,-

(क) जो केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी अन्य देश के साथ या अन्तरसरकारी अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण संस्था के साथ किया गया हो; या

(ख) जिसमें किसी एक या अधिक अन्य राज्य सरकारों के साथ या केन्द्र सरकार के साथ वह पक्षकार हो,

के अधीन या से उदभूत राज्य सरकार की किसी बाध्यता के अध्यधीन रहते हुए किसी उपापन संस्था पर लागू होंगे और ऐसे करार की अपेक्षाएं इस अधिनियम के उपबंधों पर अभिभावी होंगी।

(4) धारा 4 और 11 के उपबंधों से संगत इस निमित्त बनाये गये ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, अध्याय 2 और 3 के उपबंध ऐसे किसी उपापन पर लागू नहीं होंगे जिसकी प्राक्कलित कीमत या मूल्य एक लाख रुपये या ऐसे उच्चतर मूल्य, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, से कम है।

अध्याय 2

उपापन

क. साधारण सिद्धान्त

4. लोक उपापन के मूल सिद्धान्त.- (1) लोक उपापन के सम्बन्ध में उपापन संस्था का -

(क) दक्षता, मितव्ययिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का;

(ख) बोली लगाने वालों से उचित और साम्यापूर्ण व्यवहार करने का;

(ग) प्रतियोगिता में अभिवृद्धि करने का; और

(घ) भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया निर्धारित करने का उत्तरदायित्व और जबाबदारी होगी।

(2) धारा 3 की उप-धारा (3) के अध्यधीन रहते हुए प्रत्येक उपापन संस्था इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अपने उपापन को कार्यान्वित करेगी।

5. उपापन की आवश्यकता का अवधारण.- (1) इस अधिनियम के अधीन किये गये उपापन के प्रत्येक मामले में उपापन संस्था पहले उपापन की विषय वस्तु की आवश्यकता आवधारित करेगी।

(2) उपापन संस्था, उप-धारा (1) के अधीन आवश्यकता निर्धारित करते समय, उपापन की प्राक्कलित लागत का ध्यान रखेगी और निम्नलिखित मामलों पर विनिश्चय भी करेगी, अर्थात्:-

(क) उपापन का विस्तार या परिमाण, यदि अवधारित हो;

(ख) उपापन की अपनायी जाने वाली पद्धति उसके न्यायोचित्य सहित;

(ग) पूर्व-अर्हता की आवश्यकता, यदि कोई हो;

(घ) धारा 6 के निबंधनों के अनुसार बोली लगाने वालों के भाग लेने पर परिसीमा, यदि कोई लागू हो, और उसका न्यायोचित्य; और

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(3) उपापन संस्था उप-धारा (1) के अधीन उपापन की आवश्यकता के अवधारण और उप-धारा (2) के अधीन किये गये निर्धारण के सम्बन्ध में दस्तावेजों का अनुरक्षण करेगी।

6. बोली लगाने वालों का भाग लेना.- (1) उपापन संस्था, सिवाय इसके जब इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या मार्गदर्शक सिद्वान्तों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित हो, उपापन प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने के किसी उद्देश्य की, जो बोली लगाने वालों के विरूद्व या उनके मध्य या उनके किसी प्रवर्ग के विरूद्व विभेद करे, अपेक्षा नहीं करेगी।

(2) राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, बोली लगाने वालों के किसी प्रवर्ग से उपापन की किसी विषय वस्तु के आज्ञापक उपापन के लिए, और बोली लगाने वालों के किसी प्रवर्ग से उपापन में क्रय या कीमत अधिमान के लिए निम्नलिखित आधारों पर उपबन्ध कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) घरेलू उद्योग की अभिवृद्वि;

(ख) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीति;

(ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सम्यक् रूप से अधिसूचित किसी नीति को अग्रसर करने में लोकहित में कोई भी अन्य प्रतिफल:

परन्तु ऐसी किसी भी अधिसूचना में ऐसे आज्ञापक या अधिमानी उपापन, चुने हुए प्रदायकर्ताओं के प्रवर्ग और उपबंधित अधिमान की प्रकृति का युक्तियुक्त औचित्य अन्तर्विष्ट होगा।

(3) उपापन संस्था, उपापन प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को आमंत्रित करते समय, यह घोषित करेगी कि आया बोली लगाने वालों का भाग लेना इस धारा के अनुसरण में है और किस आधार पर सीमित है तथा ऐसी कोई घोषणा साधारणतया बाद में परिवर्तित नहीं की जा सकेगी।

(4) इस धारा की किसी भी बात का अर्थ, राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था को -

(क) लोक आदेश, सदाचार या सुरक्षा को संरक्षित करने;

(ख) मानव, पशु या वनस्पति जीवन या उनके स्वास्थ्य को संरक्षित करने;

(ग) बौद्धिक सम्पत्ति को संरक्षित करने;

(घ) भारत की आवश्यक सुरक्षा और युद्धनीतिक हित को संरक्षित करने,

की आवश्यकता के कारण भाग लेने को सीमित करने के उपाय अधिरोपित करने या प्रवर्तित करने से निवारित करने के रूप में नहीं लगाया जायेगा।

7. बोली लगाने वालों की अर्हताएं.- (1) उपापन संस्था, किसी बोली लगाने वाले के उपापन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्हित होने के लिए उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक अपेक्षाओं को अवधारित और लागू कर सकेगी।

(2) उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी बोली लगाने वाला-

(क) आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबन्धकीय स्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करेगा;

(ख) ऐसे करों को संदत्त करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगा;

(ग) दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित

कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा;

(घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांडिक अपराध के सम्बन्ध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोषसिद्व हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं;

(ङ) ऐसे हित, जो पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जायें, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगा, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप से प्रभावित करे;

(च) कोई भी अन्य अर्हताएं, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगा।

(3) बोली लगाने वालों की उनकी बौद्धिक सम्पति या व्यापार सम्बन्धी गोपनीय बातों को संरक्षित करने के अधिकार के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था किसी बोली लगाने वाले से ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध कराने या घोषणा करने की अपेक्षा कर सकेगी जो वह उप-धारा (1) के अनुसार कोई मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक समझे।

(4) इस धारा के अनुसरण में स्थापित कोई भी अपेक्षा पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में, यदि कोई हों, और बोली दस्तावेजों में उपवर्णित की जायेगी और समस्त बोली लगाने वालों पर समान रूप से लागू होगी।

(5) उपापन संस्था इस धारा में विनिर्दिष्ट अपेक्षा के अनुसार ही बोली लगाने वालों की अर्हताओं का मूल्यांकन करेगी।

8. उपापन के मूल्य से सम्बन्धित बाध्यताएं.- (1) प्रत्येक उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व ऐसे प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी जिसके पास आवश्यक वित्तीय शक्तियां हों।

(2) उपापन संस्था, उप-धारा (1) के अधीन अपनी बाध्यताओं से बचने या बोली लगाने वालों के मध्य प्रतियोगिता को सीमित करने या इस अधिनियम के अधीन अपनी बाध्यताओं से अन्यथा बचने के लिए, उपापन के मूल्य को प्राक्कलित करने हेतु न तो अपने उपापन को विभाजित करेगी और न ही किसी मूल्यांकन रीति विशेष का उपयोग करेगी:

परन्तु दक्षता, मितव्ययिता और समय पर पूर्णता या प्रदाय के हित में उपापन संस्था, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, अपने उपापन को समुचित पैकेजों में विभाजित कर सकेगी।

9. प्रक्रिया के लिए समय-सीमा.- (1) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, प्रत्येक उपापन संस्था उपापन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों की पूर्णता के लिए कोई युक्तियुक्त समय-सीमा पूर्व-अवधारित करेगी और उसे पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित करेगी।

(2) उपापन संस्था उप-धारा (1) के अधीन उपदर्शित समय-सीमा का पालन करने का प्रयास करेगी और ऐसा करने में विफल रहने की दशा में ऐसी समय-सीमा को, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, बढ़ायेगी।

10. उपापन कार्यवाहियों और संसूचनाओं के दस्तावेजी अभिलेख.- (1) उपापन संस्था अपनी उपापन कार्यवाहियों का अभिलेख रखेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 5 के अधीन उपापन की आवश्यकता के अवधारण से सम्बन्धित दस्तावेज;

(ख) धारा 12 के अधीन उपापन की विषय वस्तु का वर्णन;

(ग) धारा 29 की उप-धारा (4) के अधीन खुली प्रतियोगी बोली से भिन्न किसी उपापन की पद्धति के चुनाव के लिए कारण का कथन;

(घ) भाग ले रहे बोली लगाने वालों की विशिष्टियां;

(ङ) बोली-पूर्व सम्मेलनों के दौरान सहित स्पष्टीकरणों के लिए अनुरोध और उनके कोई भी प्रत्युत्तर;

(च) बोली की कीमतें और अन्य वित्तीय निबंधन;

(छ) बोलियों के मूल्यांकन का सारांश;

(ज) धारा 38 के अधीन किसी अपील के ब्यौरे, और उनसे सम्बन्धित विनिश्चय;

(झ) कोई भी अन्य सूचना या अभिलेख, जैसा विहित किया जाये।

(2) धारा 38 के अधीन अपीलों के सम्बन्ध में या किसी बैठक के अनुक्रम सहित किसी उपापन के अनुक्रम में तैयार किये गये या उपापन प्रक्रिया के अभिलेख का भाग कोई दस्तावेज, अधिसूचना, विनिश्चय या कोई अन्य सूचना ऐसे किसी रूप में होगी जो सूचना की अन्तर्वस्तु का अभिलेख उपलब्ध कराती हो और सुगम हो ताकि पश्चातवर्ती निर्देश के लिए उपयोग किये जाने योग्य हो।

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं.22) या अभिलेखों के प्रतिधारण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन, उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया या, यथास्थिति, उपापन संविदा के अवसान के पश्चात् किसी युक्तियुक्त कालावधि के लिए, उप-धारा (1) और (2) में उपदर्शित दस्तोवजी अभिलेख को प्रतिधारित करेगी ताकि लेखापरीक्षा या ऐसे अन्य पुनर्विलोकन को समर्थ बनाये।

11. उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के लिए सत्यनिष्ठा संहिता.- (1) किसी उपापन संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी या किसी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विहित सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं करेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सत्यनिष्ठा संहिता में,-

(क) (i) उपापन प्रक्रिया में किसी अनुचित लाभ के आदान-प्रदान में, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी रिश्वत, इनाम या दान या किसी तात्विक

फायदे के किसी प्रस्ताव, याचना या स्वीकृति का या उपापन प्रक्रिया को अन्यथा प्रभावित करने का;

(ii) किसी दुर्व्यपदेशन सहित किसी लोप का, जो गुमराह करता है या गुमराह करने का प्रयत्न करता है ताकि कोई वित्तीय या अन्य फायदा प्राप्त कर सके या किसी बाध्यता से बच सके;

(iii) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, औचित्य और प्रगति का ह्रास करने के लिए किसी दुरभिसंधि, बोली छल या प्रतियोगी-विरोधी व्यवहार का;

(iv) उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ या वैयक्तिक लाभ के आशय से उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच सांझा की गयी सूचना के अनुचित उपयोग का;

(v) बोली लगाने वाले और उपापन संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी के बीच किसी वित्तीय या कारबार सम्बन्धी संव्यवहारों का;

(vi) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्षकार का या उसकी सम्पति का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ह्रास या अपहानि या ऐसा करने की धमकी सहित किसी प्रपीड़न का;

(vii) किसी उपापन प्रक्रिया के किसी अन्वेषण या लेखापरीक्षा की किसी बाधा का;

प्रतिषेध करने,

(ख) हित के विरोध का प्रकटीकरण करने;

(ग) अन्तिम तीन वर्ष के दौरान भारत या किसी भी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ववर्ती नियमभंग करने के सम्बन्ध में या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन के सम्बन्ध में बोली लगाने वाले के द्वारा प्रकटीकरण करने,

के उपबन्ध सम्मिलित हैं।

(3) अध्याय 4 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भंग की दशा में उपापन संस्था निम्नलिखित सहित समुचित अध्युपाय कर सकेगी:-

(क) उपापन प्रक्रिया से बोली लगाने वालों का अपवर्जन;

(ख) संविदा-पूर्व बातचीत की समाप्ति और बोली प्रतिभूति का समपहरण या भुनाना;

(ग) उपापन से सम्बन्धित किसी अन्य प्रतिभूति या बन्धपत्र का समपहरण या भुनाना;

(घ) उपापन संस्था द्वारा किये गये संदायों की, उन पर बैंक दर से ब्याज सहित, वसूली;

(ङ) उपापन संस्था द्वारा सुसंगत संविदा का रद्दकरण और उपगत हानि के लिए प्रतिकर की वसूली;

(च) उपापन संस्था के आगामी उपापनों में, धारा 46 के अधीन तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, बोली लगाने वाले को भाग लेने से विवर्जित करना।

12. उपापन की विषय वस्तु का वर्णन.- (1) उपापन की विषय वस्तु का वर्णन पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों और बोली दस्तावेजों में उपवर्णित किया जायेगा और -

(क) ऐसा होगा, जो उपापन संस्था की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके;

(ख) यथासाध्य सीमा तक -

(i) वस्तुनिष्ठ, कार्यपरक, वर्गगत और नापने योग्य होगा;

(ii) सुसंगत तकनीकी, गुणवत्ता और कार्य की विशेषताएं उपवर्णित होंगी;

(iii) किसी विशेष व्यापार चिह्न, व्यापार नाम या ब्राण्ड के लिए आवश्यकता को उपदर्शित नहीं किया जायेगा;

(ग) मार्गदर्शक सिद्वान्तों के अनुसार तैयार किया जायेगा, जो विहित किये जायें।

(2) यथासाध्य सीमा तक, जहां लागू हो, तकनीकी विनिर्देश राष्ट्रीय तकनीकी विनियमों या मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय मानकों या भवन संहिताओं पर, जहां कहीं भी ऐसे मानक विद्यमान हों, आधारित होगा या उनकी अनुपस्थिति में सुसंगत अन्तरराष्ट्रीय मानकों का उपयोग किया जा सकेगा।

13. एकल भाग या द्वि-भाग बोलियां.- (1) इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों के अध्यधीन, कोई उपापन संस्था -

(क) ऐसी बोलियां, जिनमें तकनीकी, गुणवत्ता और कार्य पहलू, वाणिज्यिक निबंधन और शर्तें और कीमत सहित वित्तीय पहलू एकल लिफाफे में अन्तर्विष्ट हैं, आमंत्रित करने का चुनाव कर सकेगी; या

(ख) यदि ऐसी राय हो कि इसके वित्तीय पहलू पर विचार करने से पूर्व किसी बोली के तकनीकी पहलू को मूल्यांकित करना आवश्यक है तो बोलियां दो लिफाफों में आमंत्रित करने का चुनाव कर सकेगी, अर्थात्:-

(i) तकनीकी, गुणवत्ता और कार्य पहलुओं, वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों को अन्तर्विष्ट करते हुए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली; और

(ii) कीमत सहित वित्तीय पहलू अन्तर्विष्ट करते हुए वित्तीय बोली।

(2) यदि उपापन संस्था उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के निबंधनों के अनुसार बोलियां आमंत्रित करती है तो पहले तकनीकी-वाणिज्यिक बोली खोली और मूल्यांकित की जायेगी और केवल उन बोलियों की वित्तीय बोली, जो तकनीकी रूप से स्वीकार्य होती है, खोली और मूल्यांकित की जायेगी।

14. मूल्यांकन की कसौटी.- (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या मार्गदर्शक सिद्धान्तों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मूल्यांकन कसौटी उपापन की विषय वस्तु से सम्बन्धित होगी और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेगा:-

(क) कीमत;

(ख) माल या संकर्म के प्रचालन, अनुरक्षण और मरम्मत की लागत, माल के परिदान का समय, संकर्म का पूरा होना या सेवाओं का उपबंध, उपापन की विषय वस्तु की विशेषताएं जैसे माल या संकर्म की क्रियाशील विशेषताएं और विषय वस्तु की परिवेशी विशेषताएं, उपापन की विषय वस्तु के बारे में संदाय और गारण्टी सम्बन्धी निबंधन; और

(ग) जहां सुसंगत हो, बोली लगाने वाले का और उपापन की विषय वस्तु उपलब्ध कराने में अन्तर्वलित होने वाले किसी कार्मिक का अनुभव, विश्वसनीयता और वृत्तिक तथा तकनीकी सक्षमता।

(2) जहां आवश्यक माना जाये, उपापन संस्था परीक्षण, नमूना जांच और किसी बोली के तकनीकी मूल्यांकन की अन्य अतिरिक्त पद्धति भी विनिर्दिष्ट करेगी:

परन्तु ऐसे परीक्षणों, नमूना जांच या मूल्यांकन की अतिरिक्त पद्धति की आवश्यकता बोली दस्तावेजों में उपदर्शित की जायेगी और ऐसे परीक्षण और जांच का अभिलेख ऐसी रीति से रखा जायेगा जो विहित की जाये।

(3) यथासाध्य सीमा तक, समस्त गैर-कीमत मूल्यांकन कसौटी वस्तुनिष्ठ और अनुमान्य होगी।

(4) इस बात को सम्मिलित करते हुए कि क्या धारा 6 की उप-धारा (2) में अधिकथित अपेक्षाएं लागू होती हैं, बोलियों के मूल्यांकन की कसौटी बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट होगी।

(5) जहां लागू हो, प्रत्येक कसौटी से संलग्न की जाने वाले सापेक्ष महत्व को बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) बोली के मूल्यांकन में उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेजों में उल्लिखित से भिन्न किसी कसौटी या प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जायेगा।

15. कीमत की बातचीत.- धारा 31 या धारा 35 में या ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जायें, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी उपापन संस्था द्वारा किसी बोली

लगाने वाले के साथ, उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी बोली के सम्बन्ध में, कीमत की कोई भी बातचीत नहीं की जायेगी।

16. संविदा के निबंधन और शर्तें.- (1) की गयी उपापन संविदाओं के निबंधन और शर्तें इस अधिनियम, लागू नियमों और बोली दस्तावेजों में उपदर्शित शर्तों के उपबंधों के अनुसार होंगी।

(2) राज्य सरकार संविदा के मानक निबंधन और शर्तें विहित कर सकेगी जो उपापन संस्थाओं द्वारा की गयी उपापन संविदाओं में, जो लागू हों, सम्मिलित की जायेंगी।

17. राज्य लोक उपापन पोर्टल.- (1) राज्य सरकार लोक उपापन के सम्बन्ध में मामलों की प्रविष्टि हेतु एक राज्य लोक उपापन पोर्टल स्थापित और संधारित करेगी, जो जनता के लिए सुगम हो।

(2) प्रत्येक उपापन संस्था उपापन से सम्बन्धित सूचना को, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धातों के अधीन यथा अपेक्षित, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पोर्टल पर प्रकाशित करवायेगी।

(3) उप-धारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य लोक उपापन पोर्टल इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा शासित उपापन के बारे में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करायेगा, अर्थात्:-

(क) पूर्व-अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली-पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हों, और उसके शुद्धि-पत्र;

(ख) पूर्व-अर्हता या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है;

(ग) पूर्व-अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची;

(घ) धारा 25 के अधीन, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची;

(ङ) धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय;

(च) सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा;

(छ) बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, की विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्रवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि;

(ज) कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।

18. बोली लगाने वालों की पूर्व-अर्हता.- (1) कोई उपापन संस्था, बोली आमंत्रित करने से पूर्व, ऐसे बोली लगाने वालों की पहचान करने के उद्देश्य से, जो किसी भी विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए अर्हित हैं, पूर्व-अर्हता प्रक्रिया में लग सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई उपापन संस्था, पूर्व-अर्हता के लिए आमंत्रण हेतु व्यापक प्रचार द्वारा भावी बोली लगाने वालों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकेगी और ऐसे बोली लगाने वालों की, जो अर्हित हैं, विशिष्टियों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित करेगी।

(3) जहां किसी उपापन संस्था ने किसी भी उपापन के संबंध में पूर्व-अर्हता प्रक्रिया का जिम्मा लिया है वहां केवल ऐसे पूर्व-अर्ह बोली लगाने वाले ही उपापन कार्यवाहियों में बने रहने के हकदार होंगे।

(4) उपापन संस्था यह विनिश्चित करेगी कि धारा 7 और पूर्व-अर्हता दस्तावेजों में उप-वर्णित कसौटी के अनुसार कौन पूर्व-अर्ह है।

(5) प्रत्येक पूर्व-अर्हता प्रक्रिया ऐसी रीति और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी, जो विहित की जाये।

19. बोली लगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण.- (1) उपापन की विषय वस्तु या उपापन के किसी वर्ग के लिए ऐसे विश्वसनीय स्रोत स्थापित करने के उद्देश्य से, जो उपापन संस्थाओं के मध्य सामान्य रूप से अपेक्षित हैं या किसी उपापन संस्था द्वारा बार-बार अपेक्षित हैं, कोई उपापन संस्था, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों का पैनल संधारित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई उपापन संस्था रजिस्ट्रीकरण के लिए आमंत्रण हेतु व्यापक प्रचार द्वारा भावी बोली लगाने वालों से प्रस्ताव आमंत्रित कर सकेगी और ऐसा रजिस्ट्रीकरण धारा 7,

इस धारा और बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी के अनुसार किया जायेगा।

(3) उपापन संस्थाएं, संभावी बोली लगाने वालों को रजिस्ट्रीकरण के लिए लगातार आवेदन करने हेतु अनुज्ञात करके या एक वर्ष में कम से कम एक बार रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करके, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची को अद्यतन करेगी।

(4) राज्य सरकार, बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया और शर्तें और वह कालावधि, जिसके लिए ऐसा रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य होगा, विहित कर सकेगी।

(5) जहां कोई उपापन संस्था, उपापन की विषय वस्तु के संबंध में, बोली लगाने वालों को रजिस्ट्रीकृत नहीं करती है वहां वह किसी अन्य उपापन संस्था के रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची, यदि कोई हो, का उपयोग कर सकेगी।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का परिणाम बोली लगाने वालों को सूचित किया जायेगा और उपापन की विषय वस्तु के लिए रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित की जायेगी।

20. बोली दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु.- (1) ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाये जायें, बोली के आमंत्रण में,-

(क) उपापन की विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन;

(ख) निम्नलिखित के उपापन के मामले,-

(i) माल, उसकी प्रकृति, परिमाण और परिदान के स्थान को सम्मिलित करते हुए, उसके विनिर्देश;

(ii) संकर्म, संकर्म की प्रकृति और अवस्थिति;

(iii) सेवा, सेवाओं की प्रकृति और वह अवस्थिति जहां वे उपलब्ध करवायी जानी हैं;

(ग) धारा 6 के निबंधनों के अनुसार बोली लगाने वालों के भाग लेने की परिसीमा का कोई भी नोटिस;

(घ) बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए रीति, तारीख और समय;

(ङ) कोई भी अन्य सूचना, जो इस प्रयोजन के लिए उपापन संस्था द्वारा, सुसंगत समझी जाये,

अन्तर्वलित होगी।

(2) विस्तृत बोली दस्तावेज में, बोली के आमंत्रण में सम्मिलित विशिष्टियां, बोलियों के मूल्यांकन के लिए कसौटी, उपापन संविदा के निबंधन, और ऐसी और सूचना, जो विहित की जाये, जो बोली लगाने वालों के लिए उनकी बोली प्रस्तुत करने में आवश्यक हो, अन्तर्विष्ट होगी।

(3) राज्य सरकार, बोली दस्तावेजों में सम्मिलित किये जाने के लिए, इसके प्ररूप सहित मानक शर्तें विहित कर सकेगी।

21. बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय-सीमा.- (1) अन्तिम तारीख, जिस तक बोली लगाने वालों द्वारा बोलियां प्रस्तुत की जानी हैं, नियत करते समय उपापन संस्था निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी,-

(क) बोली लगाने वालों के लिए अपनी बोलियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त समय की आवश्यकता; और

(ख) उपापन के लिए परिकल्पित समय-सीमा।

(2) धारा 23 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम समय, जो बोलियां प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाये, समस्त बोली लगाने वालों के लिए समान होगा।

22. बोली-पूर्व स्पष्टीकरण.- (1) कोई भी बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेजों के संबंध में, उपापन संस्था से, लिखित में स्पष्टीकरण मांग सकेगा।

(2) वह कालावधि जिसके भीतर-भीतर बोली लगाने वाला उप-धारा (1) के अधीन स्पष्टीकरण मांग सकेगा और वह कालावधि, जिसके भीतर-भीतर उपापन संस्था स्पष्टीकरणों के लिए ऐसे अनुरोधों का जवाब देगी, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

(3) स्पष्टीकरणों के लिए समस्त अनुरोध और उनके जवाब समस्त बोली लगाने वालों को सूचित किये जायेंगे और जहां लागू हो, वहां राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किये जायेंगे।

(4) कोई उपापन संस्था, किसी उपापन विशेष के संबंध में संभावी बोली लगाने वालों के संदेहों को दूर करने के लिए एक बोली-पूर्व सम्मेलन आयोजित कर सकेगी और ऐसे सम्मलेन के अभिलेख समस्त बोली लगाने वालों को सूचित किये जायेंगे और जहां लागू हो, राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किये जायेंगे।

23. बोली दस्तावेजों में परिवर्तन.- (1) यदि किन्हीं बोली दस्तावेजों में कोई उपांतरण किया जाता है या कोई ऐसा स्पष्टीकरण जारी किया जाता है जो बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट निबंधनों को सारवान् रूप से प्रभावित करता है तो उपापन संस्था, ऐसे उपांतरण या स्पष्टीकरण को उसी रीति से प्रकाशित करेगी जैसे प्रारंभिक बोली दस्तावेजों का प्रकाशन करती है।

(2) यदि किसी बोली दस्तावेज में कोई स्पष्टीकरण या उपांतरण जारी किया जाता है तो उपापन संस्था, बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व, बोली लगाने वालों को, उनकी बोलियां प्रस्तुत करते समय, स्पष्टीकरण या, यथास्थिति, उपांतरण को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त समय अनुज्ञात करने के लिए ऐसी समय सीमा बढ़ा सकेगी।

(3) किसी भी बोली लगाने वाले को, जिसने मूल आमंत्रण के जवाब में अपनी बोली प्रस्तुत कर दी है, मूल रूप से आबंटित समयावधि या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर-भीतर, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुज्ञात किया जाये, बोली को उपांतरित या, यथास्थिति, पुन: प्रस्तुत करने का अवसर होगा, जब उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेजों में परिवर्तन किये जाते हैं:

परन्तु अंत में प्रस्तुत बोली या बोली लगाने वाले के द्वारा यथा उपांतरित बोली पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जायेगा।

24. बोलियों के प्रस्तुतीकरण, खोलने और मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया.- ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो बोली दस्तावेजों में अधिकथित की जायें, बोलियों का प्रस्तुतिकरण, बोलियों का खोलना और मूल्यांकन, उन प्रयोजनों के लिए समितियों के गठन को सम्मिलित करते हुए, ऐसे नियमों के अनुसार होगा, जो विहित किये जायें।

25. बोलियों का अपवर्जन.- (1) कोई उपापन संस्था किसी बोली को अपवर्जित करेगी यदि -

(क) बोली लगाने वाला धारा 7 के निबंधनों के अनुसार अर्हित नहीं है;

(ख) बोली सारवान् रूप से, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से अलग है या इसमें मिथ्या सूचना अन्तर्विष्ट है;

(ग) बोली प्रस्तुत करने वाला बोली लगाने वाला, उसका अभिकर्ता या उसके निमित्त काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, उपापन संस्था या अन्य सरकारी प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कोई परितोषण, किसी भी रूप में, या किसी मूल्यवान वस्तु के रूप में, देता है या देने की सहमति देता है, ताकि उपापन प्रक्रिया को असम्यक् रूप से प्रभावित किया जाये;

(घ) उपापन संस्था की राय में, किसी बोली लगाने वाले का निष्पक्ष प्रतियोगिता को सारवान् रूप से प्रभावित करने वाला विरोधी हित हो।

(2) कोई बोली अपवर्जित की जायेगी जैसे ही उसके अपवर्जन के कारण का पता चलता है।

(3) किसी उपापन संस्था का किसी बोली को अपवर्जित करने का प्रत्येक विनिश्चय लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से होगा।

(4) उपापन संस्था का उप-धारा (3) के अधीन लिया गया प्रत्येक विनिश्चय -

(क) संबंधित बोली लगाने वाले को लिखित में संसूचित किया जायेगा;

(ख) राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किया जायेगा।

26. उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण.- (1) कोई उपापन संस्था, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, उसके द्वारा प्रारंभ की गयी उपापन की प्रक्रिया -

(क) सफल बोली की स्वीकृति से पूर्व किसी भी समय; या

(ख) सफल बोली स्वीकृत होने के पश्चात्,

उप-धारा (4) और (5) के अनुसार रद्द कर सकेगी।

(2) उपापन संस्था, उपापन को रद्द करने का विनिश्चय करने के पश्चात् किसी भी बोली या प्रस्थापना को नहीं खोलेगी और ऐसे बिना खुली बोलियों या प्रस्थापनाओं को लौटायेगी।

(3) उपापन संस्था के किसी उपापन को रद्द करने का विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण समस्त बोली लगाने वालों को, जिन्होंने उस उपापन प्रक्रिया में भाग लिया है, तुरंत संसूचित किये जायेंगे।

(4) यदि कोई बोली लगाने वाला, जिसकी बोली सफल बोली के रूप में स्वीकार कर ली गयी हो, यथा-अपेक्षित किसी भी लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, या संविदा के निष्पादन के लिए अपेक्षित कोई भी प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में विफल रहता है तो उपापन संस्था उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी।

(5) यदि कोई बोली लगाने वाले को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है तो उपापन संस्था -

(क) सुसंगत उपापन प्रक्रिया को रद्द कर सकेगी, यदि दोषसिद्ध बोली लगाने वाले की बोली सफल बोली के रूप में घोषित की गयी है किन्तु कोई उपापन संविदा नहीं की गयी है;

(ख) सुसंगत संविदा को विखंडित कर सकेगी या संविदा मूल्य के संपूर्ण संदाय या उसके किसी भाग को समपहृत कर सकेगी यदि उपापन संविदा उपापन संस्था और दोषसिद्ध बोली लगाने वाले के बीच की गयी है।

27. संविदा का अधिनिर्णय.- (1) उपापन संस्था, धारा 25 और धारा 6 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी बोली को -

(क) जहां केवल कीमत ही अधिनिर्णय की कसौटी है, वहां न्यूनतम बोली कीमत वाली बोली को;

(ख) जहां कीमत और अन्य अधिनिर्णय कसौटी हैं, वहां कसौटी और बोली के मूल्यांकन के लिए बोली

दस्तावेजों में यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद अभिनिश्चित बोली को;

(ग) जहां कोई वित्तीय कसौटी नहीं हैं, वहां चयनित गैर-वित्तीय कसौटी और बोली के मूल्यांकन के लिए बोली दस्तावेजों में यथा विनिर्दिष्ट अन्य पैमानों के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद अभिनिश्चित बोली को,

सफल बोली समझेगी।

(2) कोई बोली, सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उस बोली के निबंधनों के अनुसार उपापन अनुमोदन के पश्चात् ही, उप-धारा (1) के निबंधनों के अनुसार सफल बोली मानी जायेगी।

(3) उपापन संस्था, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, जैसे ही किसी बोली को स्वीकार करने का विनिश्चय करती है तो वह समस्त भाग लेने वाले बोली लगाने वालों को इस तथ्य की संसूचना देगी और इस विनिश्चय को राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित करेगी।

(4) उपापन संस्था, बोली की स्वीकृति संसूचित करते समय, सफल बोली लगाने वाले को, उपापन संविदा पूर्ण करने के लिए, विनिर्दिष्ट समय के भीतर-भीतर, किसी करार पर हस्ताक्षर करने या कोई प्रतिभूति देने, यदि आवश्यक हो, सहित अपेक्षाओं की पूर्ति करने की सलाह देगी।

ख. पद्धति

28. उपापन का पद्धति.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कोई उपापन संस्था उपापन की विषय वस्तु का, निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक पद्धति से उपापन कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) खुली प्रतियोगी बोली; या

(ख) सीमित बोली; या

(ग) द्वि-प्रक्रम बोली; या

(घ) एकल स्रोत उपापन; या

(ङ) इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम; या

(च) कोटेशनों के लिए अनुरोध; या

(छ) मौके पर क्रय; या

(ज) प्रतियोगी बातचीत; या

(झ) दर संविदा; या

(ञ) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपापन के सिद्धान्तों का समाधान करने वाला और जिसको राज्य सरकार लोकहित में आवश्यक समझे, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उपापन की कोई भी अन्य पद्धति।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपापन के विभिन्न प्रक्रमों और प्रकारों के लिए, इलैक्ट्रोनिक उपापन को अंगीकृत करना अनिवार्य घोषित कर सकेगी और ऐसी घोषणा पर, इस अधिनियम के अधीन लिखित संसूचना के लिए प्रत्येक अपेक्षा पूर्ण की गयी समझी जायेगी यदि वह इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा की गयी है।

(3) उपापन की विषय वस्तु के उपापन में, प्रत्येक उपापन संस्था, उपापन की सुसंगत पद्धति के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया का पालन करेगी, जो विहित की जाये।

29. खुली प्रतियोगी बोली.- (1) प्रत्येक उपापन संस्था, खुली प्रतियोगी बोली को, उपापन की सर्वाधिक अधिमानित पद्धति के रूप में अपनाये जाने के लिए अधिमान देगी।

(2) खुली प्रतियोगी बोली, धारा 32 के निबंधनों के अनुसार द्वि-प्रक्रम बोली, धारा 33 के निबंधनों के अनुसार इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम और धारा 36 के निबंधनों के अनुसार दर संविदा के मामले में भी अपनायी जा सकेगी।

(3) उपापन संस्था, धारा 18 में विनिर्दिष्ट पूर्व-अर्हता प्रक्रिया का पालन कर सकेगी और केवल पूर्व-अर्ह बोली लगाने वालों में से ही बोली आमंत्रित कर सकेगी।

(4) जहां कोई उपापन संस्था, खुली प्रतियोगी बोली से भिन्न उपापन की कोई पद्धति चुनती है वहां वह इसके कारण और परिस्थितियां अभिलिखित करेगी।

(5) किसी खुली प्रतियोगी बोली के मामले में, कोई उपापन संस्था, राज्य लोक उपापन पोर्टल पर बोली का आमंत्रण प्रकाशित करके और कम से कम एक ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाये, बोलियां आमंत्रित करेगी।

30. सीमित बोली.- (1) कोई उपापन संस्था, उपापन की विषय वस्तु उपाप्त कराने के लिए, सीमित बोली की पद्धति चुन सकेगी यदि, -

(क) उपापन की विषय वस्तु का प्रदाय केवल बोली लगाने वालों की सीमित संख्या द्वारा ही किया जा सकता हो; या

(ख) बड़ी संख्या में बोलियों के परीक्षण और मूल्यांकन में अन्तर्वलित समय और लागत उपापन की विषय वस्तु के मूल्य के अनुरूप न हो सके; या

(ग) अकल्पित घटनाओं द्वारा घटित किसी अत्यावश्यकता के कारण उपापन संस्था की यह राय हो कि उपापन की विषय वस्तु, खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति अपनाकर उपयुक्त रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती हो; या

(घ) धारा 6 की उप-धारा (2) के निबंधनों के अनुसार, भावी बोली लगाने वालों के प्रवर्ग में से उपापन आवश्यक हो।

(2) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, सीमित बोली की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:-

(क) उपापन संस्था, बोली के लिए आमंत्रण सीधे ही लिखित में और उसी दिन,-

(i) उन समस्त बोली लगाने वालों को, जो उप-धारा (1) के खण्ड (क) के निबंधनों के अनुसार उपापन की विषय वस्तु का प्रदाय कर सकते हैं; या

(ii) उन समस्त बोली लगाने वालों को, जो उसी उपापन संस्था या जहां उपापन संस्था, धारा 19 की उप-धारा (5) के निबंधनों के अनुसार, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची का उपयोग करती है वहां किसी अन्य उपापन संस्था में उपापन की विषय वस्तु के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं; या

(iii) बोली लगाने वालों की किसी पर्याप्त संख्या को, जो उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के मामले में, प्रभावी प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए किसी अविभेदकारी रीति से चयनित उपापन की विषय वस्तु का प्रदाय कर सकते हों,

जारी करेगी;

(ख) कोई उपापन संस्था, समस्त भावी बोली लगाने वालों को अनुज्ञात कर सकेगी, जो उपापन के लिए अधिकथित अर्हता कसौटी को पूर्ण करते हैं, चाहे ऐसे किसी बोली लगाने वाले को बोली लगाने के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आमंत्रण जारी किया गया हो या नहीं।

31. एकल स्रोत उपापन.- (1) कोई उपापन संस्था, एकल स्रोत रीति से उपापन की विषय वस्तु के उपापन का चयन कर सकती है यदि,-

(क) उपापन की विषय वस्तु केवल किसी विशिष्ट भावी बोली लगाने वाले से ही उपलब्ध हो, या उपापन की विषय वस्तु के संबंध में किसी विशिष्ट भावी बोली लगाने वाले को ऐसे अनन्य अधिकार हों कि कोई युक्तियुक्त वैकल्पिक या प्रतिस्थापक स्रोत अस्तित्व में न हो, और इसलिए किसी अन्य उपापन रीति का प्रयोग सभंव न हो; या

(ख) अचानक किसी अकल्पित घटना के कारण उपापन की विषय वस्तु की अत्यंत तत्काल आवश्यकता हो, और उपापन की किसी अन्य रीति से सम्बद्ध होना अव्यवहारिक होगा; या

(ग) उपापन संस्था, किसी प्रदाता से माल, उपस्कर, प्रौद्योगिकी या सेवाएं उपाप्त कर के यह अवधारित करे कि मानकीकरण के कारणों के लिए या विद्यमान माल, उपस्कर, प्रौद्योगिकी या सेवाओं की अनुरूपता

की आवश्यकता के कारण उस प्रदाता से अतिरिक्त प्रदायों या सेवाओं को उपाप्त किया जाना चाहिए; या

(घ) उपापन की विषय वस्तु के लिए कोई विद्यमान संविदा हो जिसे अतिरिक्त माल, संकर्म या सेवाओं के लिए बढ़ाया जा सके और उपापन संस्था का यह समाधान हो जाये कि और प्रतियोगिता से कोई लाभ नहीं होगा, कीमतें युक्तियुक्त हैं और मूल संविदा में ऐसे विस्तार के लिए उपबंध विद्यमान हैं; या

(ङ) उपापन संस्था यह अवधारित करे कि उपापन की किसी अन्य रीति का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के संरक्षण के लिए समुचित नहीं है; या

(च) धारा 6 की उप-धारा (2) के निबंधनों के अनुसार किसी विशिष्ट भावी बोली लगाने वाले से उपापन आवश्यक हो; या

(छ) विषय वस्तु कलात्मक प्रकृति की हो; या

(ज) उपापन की विषय वस्तु ऐसी प्रकृति की हो जो गोपनीयता बनाये रखने के लिए आवश्यक हो, जैसे परीक्षा के प्रश्नपत्रों की छपाई।

(2) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, एकल स्रोत उपापन के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:-

(क) उपापन संस्था, किसी एकल भावी बोली लगाने वाले से किसी बोली की अभ्यर्थना करेगी;

(ख) उपापन संस्था, बोली लगाने वाले से सदभावपूर्वक बातचीत कर सकेगी।

32. द्वि-प्रक्रमी बोली.- (1) कोई उपापन संस्था किसी विषय वस्तु का उपापन द्वि-प्रक्रमी बोली की रीति से करने का चयन कर सकेगी यदि,-

(क) किसी उपापन संस्था के लिए, उपापन की विषय वस्तु हेतु बोली लगाने वालों से इसके तकनीकी पहलुओं से संबंधित आगम प्राप्त किये बिना, विस्तृत विनिर्देशों

को बनाना या विनिर्दिष्ट लक्षणों की पहचान करना साध्य न हो; या

(ख) खुली प्रतियोगी बोली को असाध्य बनाने के लिए उपापन की विषय वस्तु का लक्षण ऐसे त्वरित प्रौद्योगिकी विकास और बाजार के उतार-चढ़ाव के अध्यधीन हो; या

(ग) उपापन संस्था, उसके सिवाय जहां संविदा में मदों का इतनी मात्राओं में उत्पादन सम्मिलित है जो उनकी वाणिज्यिक अर्थक्षमता स्थापित करने या अनुसंधान और विकास लागत वसूलने के लिए पर्याप्त हो, अनुसंधान, प्रयोग, अध्ययन या विकास के प्रयोजन के लिए कोई संविदा कर सकेगी; या

(घ) बोली लगाने वाले से अपेक्षित है कि वह विस्तृत सर्वेक्षण या जांच करे और किसी विशिष्ट उपापन से संबंधित जोखिमों, लागत और बाध्यताओं के व्यापक निर्धारण का जिम्मा ले।

(2) उन नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाये जायें, द्वि-प्रक्रमी बोली की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:-

(क) बोली प्रक्रिया के प्रथम प्रक्रम पर, कोई उपापन संस्था प्रस्तावित उपापन के तकनीकी पहलुओं और संविदा संबंधी निबंधनों और शर्तों को अन्तर्विष्ट करने वाली बोली बिना किसी बोली मूल्य के आमंत्रित करेगी;

(ख) प्रथम प्रक्रम की समस्त बोलियों का, जो अन्यथा पात्र हैं, उपापन समिति द्वारा गठित एक समुचित समिति के माध्यम से नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में, मूल्यांकन किया जायेगा;

(ग) समिति बोली लगाने वालों के साथ विचार-विर्मश कर सकेगी और यदि ऐसा कोई विचार-विर्मश किया जाता है तो समस्त बोली लगाने वालों को विचार-विर्मश में भाग लेने का समान अवसर प्रदान किया जायेगा;

(घ) उपापन के सुसंगत निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण करते समय, उपापन संस्था उपापन के मौलिक स्वरूप को उपांतरित नहीं करेगी किन्तु उपापन की विषय वस्तु के विनिर्देशों को या मूल्यांकन की कसौटी को जोड़, संशोधित या विलोपित कर सकेगी;

(ङ) धारा 29 और 30 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोली प्रक्रिया के द्वितीय प्रक्रम पर उपापन संस्था, उन समस्त बोली लगाने वालों से, जिनकी बोली प्रथम प्रक्रम पर नामंजूर नहीं हुई थी, उपापन के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षित समुच्चय के प्रत्युत्तर में बोली की कीमतों के साथ अन्तिम बोली प्रस्तुत करने के लिए, बोली आमंत्रित करेगी;

(च) कोई भी बोली लगाने वाला, जिसे बोली के लिए आमंत्रित किया गया हो, किन्तु वह विनिर्देशों में परिवर्तन के कारण उपापन की विषय वस्तु के प्रदाय की स्थिति में न हो तो उपापन कार्यवाहियों से समुचित कारण से पीछे हटने के आशय की घोषणा करके बोली की प्रतिभूति, जो उसके द्वारा उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित हो, को जब्त करवाये बिना या किसी भी रूप में दण्डित हुए बिना, बोली की कार्यवाहियों से पीछे हट सकेगा।

33. इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम.- (1) कोई उपापन संस्था उपापन की किसी विषय वस्तु के इलैक्ट्रानिक रिवर्स नीलाम की रीति से उपापन का चयन कर सकेगी यदि,-

(क) उपापन संस्था के लिए उपापन की विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन तैयार कराना साध्य हो;

(ख) बोली लगाने वालों का एक प्रतियोगी बाजार हो जिसका इलैक्ट्रानिक रिवर्स नीलाम में प्रतिभागी होने के लिए अर्ह होना इस प्रकार संभावित हो कि प्रभावी प्रतियोगिता सुनिश्चित हो सके; और

(ग) सफल बोली अवधारित करने में उपापन संस्था द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले मानदण्ड मापयोग्य हैं और धन के रूप में अभिव्यक्त किये जा सकते हों।

(2) नियमों के अध्यधीन, जो इस निमित्त बनाये जायें, इलैक्ट्रानिक रिवर्स नीलाम की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्:-

(क) उपापन संस्था, इलैक्ट्रानिक रिवर्स नीलाम के लिए धारा 29 की उप-धारा (5) के अनुसार प्रकाशित या, यथास्थिति, धारा 30 की उप-धारा (2) के अनुसार जारी आमंत्रण द्वारा बोली आमंत्रित करेगी;

(ख) आमंत्रण में, धारा 20 में यथा वर्णित सूचना के अतिरिक्त निम्नलिखित से संबंधित ब्यौरे सम्मिलित होंगे -

(i) नीलाम तक पहुंच और उसके लिए रजिस्ट्रीकरण;

(ii) नीलाम का खुलना और बन्द होना;

(iii) नीलाम के संचालन के मानक;

(iv) कोई भी अन्य सूचना जो उपापन की रीति से सुसंगत हो।

(3) इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलाम, धारा 32 के अधीन द्वि-प्रक्रमी बोली में सर्वोत्तम वित्तीय बोली अभिप्राप्त करने के लिए और जहां धारा 13 के निबंधानानुसार द्वि-भाग बोली प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, के लिए भी उपयोग में लायी जा सकती है।

34. कोटेशनों और मौके पर क्रय के लिए अनुरोध.- (1) उपापन संस्था निम्नलिखित स्थितियों में कोटेशन के लिए अनुरोध की रीति द्वारा किसी धनीय मूल्य, जो विहित किया जाये, से नीचे के मूल्य के उपापन की विषय वस्तु के उपापन का चयन कर सकती है, अर्थात्:-

(क) आसानी से उपलब्ध वाणिज्यिक रूप से तैयार माल का उपापन जो कि उपापन संस्था के विशिष्ट विवरण के लिए विशेष रूप से उत्पादित नहीं किये जाते हैं और जिसके लिए एक स्थापित बाजार है; या

(ख) भौतिक सेवाएं जो कि उपापन संस्था के विशेष विवरण के लिए विशेष रूप से मुहैया नहीं करायी जाती हैं और आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं; या

(ग) किसी माल या संकर्म या सेवाओं का उपापन जो कि अनुरक्षण या आपात मरम्मतों के लिए आवश्यक रूप से अपेक्षित हैं।

(2) इस निमित्त बनाये गये इन नियमों के अध्यधीन कोटेशन के लिए अनुरोध की प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क) कोटेशन इतने अधिक यथासाध्य संभावी बोली लगाने वालों से जो न्यूनतम तीन के अध्यधीन होंगे, मांगे जायेंगे;

(ख) प्रत्येक बोली लगाने वाले को केवल एक कोटेशन देने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा;

(ग) कोटेशन के लिए अनुरोध में यथा उपवर्णित उपापन संस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला न्यूनतम कीमत वाला कोटेशन सफल कोटेशन होगा।

(3) उपापन संस्था के भीतर के तीन सदस्यों से मिलकर बनी क्रय समिति के माध्यम से उपापन संस्था उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट उपापन की विषय वस्तु का मौके पर क्रय कर सकती है और ऐसे मामलों में क्रय समिति इस आशय का प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेगी कि यह समाधान हो गया है कि माल या सेवाएं अपेक्षित गुणवत्ता की हैं और प्रचलित बाजार दर के मूल्य की हैं।

(4) इस धारा के अधीन किये गये क्रयों पर धारा 5 से 10 (दोनों सम्मिलित), धारा 12 से 27 (दोनों सम्मिलित) और अध्याय 3 में की कोई बात लागू नहीं होगी।

35. प्रतियोगी बातचीत.- (1) उपापन संस्था प्रतियोगी बातचीत की रीति द्वारा उपापन की विषय वस्तु का चयन कर सकेगी, यदि -

(क) अकल्पित घटनाओं के द्वारा हुई अत्यावश्यकता को देखते हुए उपापन संस्था की यह राय हो कि खुली प्रतियोगी बोली लगाने वाली रीति या किसी अन्य रीति को अंगीकृत कर उपापन की विषय वस्तु उपयोगी रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती; या

(ख) उपापन की विषय वस्तु में पशुधन, कपास, तिलहन या ऐसी अन्य कृषि उपज अन्तर्वलित हैं जिनकी कीमतों में निरन्तर उतार-चढ़ाव होता है और उपापन संस्था की राय में उपापन की विषय वस्तु को खुली प्रतियोगी बोली लगाने वाली रीति या किसी अन्य रीति को अंगीकृत कर उपयोगी रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता।

(2) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन प्रतियोगी बातचीत के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क) इस धारा के अधीन उपापन की विषय वस्तु का क्रय उपापन संस्था के भीतर क्रय समिति के माध्यम से किया जायेगा और ऐसे मामलों में क्रय समिति इस आशय का प्रमाणपत्र अभिलिखित करेगी कि यह समाधान हो गया है कि उपापन की विषय वस्तु अपेक्षित गुणवत्ता की है और प्रचलित बाजार दर की कीमत की है;

(ख) प्रभावी प्रतियोगिता को सुनिश्चित करने के लिए अविभेदकारी रीति से पर्याप्त संख्या में चयनित संभावी बोली लगाने वालों को जो, तीन से कम न हों, उपापन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे;

(ग) बातचीत में भाग लेने के लिए समस्त बोली लगाने वालों को समान अवसर दिया जायेगा।

(3) इस धारा के अधीन किये गये क्रयों पर धारा 5 से 10 (दोनों सम्मिलित), धारा 12 से 27 (दोनों सम्मिलित) और अध्याय 3 में अन्तर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी।

36. दर संविदा.- (1) कोई उपापन संस्था इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार दर संविदा प्रक्रिया में संलग्न होने का चयन कर सकती है, जिसमें यह अवधारित किया जायेगा कि -

(क) दी गई समयावधि के दौरान उपापन की विषय वस्तु की आवश्यकता अनिश्चित या दुहराये गये आधार पर उत्पन्न होने की आशा की जाती है;

(ख) उपापन की विषय वस्तु की प्रकृति के आधार पर इसकी आवश्यकता दी गई समयावधि के दौरान उत्पन्न हो सकती है।

(2) उपापन संस्था इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार खुली प्रतियोगी बोली लगाने वाले के आधार पर या अन्य उपापन रीतियों के माध्यम से दर संविदा प्रदान कर सकती है।

(3) इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यधीन दर संविदा के लिए प्रक्रिया में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

(क) वह रीति जिसमें अनुसरण की जाने वाली बोली की रीति के चयन को सम्मिलित करते हुए दर संविदा की जानी है; और

(ख) वह रीति जिसमें उपापन संविदा दर संविदा प्रक्रिया का उपयोग करते हुए की जानी है।

37. उपापन की रीतियों का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त शर्तें.- धारा 30 से 36 (दोनों सम्मिलित) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, अधिसूचना के माध्यम से, ऐसी रीति से, जो कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्वता के सिद्धान्तों से संगत है, धारा 28 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) से (झ) में उल्लिखित उपापन की किसी रीति के उपयोग के लिए शर्तों को जोड़ सकती है।

अध्याय 3

अपील

38. अपील.- (1) धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्रवाई या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्रवाई या,

यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा:

परन्तु धारा 27 के निबंधनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है:

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहां उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहां वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीध्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने

वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा:

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जायेगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाये।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किये जायें।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि-सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जायेगी।

39. उपापन कार्यवाहियों को रोकना.- धारा 38 के अधीन अपील की सुनवाई के समय अपील सुनने वाला अधिकारी या प्राधिकारी इस निमित्त किये गये आवेदन पर और संबंधित पक्षकारों को सुनने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् अपील का निपटारा लंबित रहने तक उपापन कार्यवाहियों पर रोक लगा सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा किये जाने में असफल होने पर घोर अन्याय होने की संभावना है।

40. कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी.- धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, अर्थात्:-

(क) धारा 5 के निबन्धनों में उपापन की आवश्यकता का अवधारण;

(ख) धारा 6 के उपबधों के निबन्धनों में बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध;

(ग) यह विनिश्चय कि धारा 15 के निबन्धनों में बातचीत की जाये या नहीं;

(घ) धारा 26 के निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण;

(ङ) धारा 49 के अधीन गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।

अध्याय 4

अपराध और शास्तियाँ

41. लोक उपापन के संबंध में परितोषण या मूल्यवान वस्तु लेने के लिए दण्ड.- जो कोई, उपापन संस्था का अधिकारी या कर्मचारी होने

के कारण किसी भी उपापन प्रक्रिया के संबंध में कार्य करते हुए, ऐसे लोक उपापन के संबंध में, कोई भी पदीय कार्य करने या करने से प्रविरत रहने या अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में किसी भी व्यक्ति के प्रति अनुग्रह या अननुग्रह दर्शाने या दर्शाने से प्रविरत रहने, किसी भी व्यक्ति को कोई भी सेवा या अपकार देने या देने का प्रयास करने के लिए, किसी भी व्यक्ति से स्वयं के लिए या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए विधिक पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण या कोई मूल्यवान वस्तु प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल, जो वह जानता है कि अपर्याप्त है, के लिए, स्वीकार करता है या अभिप्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है, वह ऐसे कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

42. उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप.- (1) जो कोई -

(क) किसी भी भावी बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले के लिए सदोष अभिलाभ या अनुचित लाभ को सुरक्षित करने के आशय से किसी भी उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है या उस पर प्रभाव डालता है; या

(ख) किसी भावी बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले के लिए अनुचित अलाभ कारित करने के आशय से उपापन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है; या

(ग) असम्यक् रूप से उचित प्रतियोगिता को निर्बंधित करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष रूप से किसी कार्रवाई या सदस्यों को प्रभावित करने में लगता है; या

(घ) किसी उपापन संस्था या उसके किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी को आशयपूर्वक प्रभावित करता है या जानबूझकर या कपटपूर्वक कोई ऐसा प्राख्यान या व्यपदेशन करता है जो कि किसी उपापन प्रक्रिया में उचित प्रतियोगिता को निर्बंधित या मजबूर करेगा; या

(ङ) उपापन संस्था के किसी पूर्व अधिकारी या कर्मचारी को, ऐसे पूर्व अधिकारी या कर्मचारी के उस उपापन

में, जिसमें नियोजक का हित था, सहयुक्त होने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के भीतर, कर्मचारी, निदेशक, परामर्शी, सलाहकार या अन्यथा रूप में लगाता है; या

(च) उपापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से बोली घुमाने, दुस्संधिपूर्ण बोली लगाने या गैर-प्रतियोगी व्यवहार से लगता है; या

(छ) किसी असम्यक् अभिलाभ के लिए धारा 49 में निर्दिष्ट गोपनीयता को आशयपूर्वक भंग करता है,

ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और ऐसे जुर्माने से भी, जो पचास लाख रुपये या उपापन के निर्धारित मूल्य के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) बोली लगाने वाला, जो -

(क) वित्तीय बोलियों के खुलने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है;

(ख) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है;

(ग) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन संविदा करने में असफल होता है;

(घ) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेजों के निबंधनों में अपेक्षित, कार्यसंपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में, वैध आधारों के बिना असफल रहता है,

वह, बोली लगाने वाले दस्तावेजों या संविदा में उपलब्ध अवलम्ब के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास लाख रुपये या उपापन के निर्धारित मूल्य के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।

43. तंग करने वाली अपीलें या परिवाद.- जो कोई भी किसी उपापन में विलम्ब कारित करने या उसे विफल करने या किसी उपापन संस्था या किसी अन्य बोली लगाने वाले को हानि कारित करने के

आशय से इस अधिनियम के अधीन कोई तंग करने वाली, तुच्छ या द्वेषपूर्ण अपील या परिवाद दाखिल करता है वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो बीस लाख रुपये या उपापन के मूल्य के पांच प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।

44. कम्पनियों द्वारा अपराध.- (1) इस अधिनियम के अधीन जहां कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा कारित किया जाता है वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध कारित किये जाने के समय पर कम्पनी के कारबार के संचालन का प्रभारी था और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कम्पनी अपराध कारित किये जाने के लिए दोषी समझी जायेगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने के लिए दायी होगी:

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी दण्ड के लिए दायी होगा यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना कारित किया गया था या कि ऐसे अपराध को कारित करने से रोकने के लिए उसने सम्यक् तत्परता का प्रयोग किया था।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई अपराध इस अधिनियम के अधीन किसी कम्पनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, तो वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी ऐसे अपराध को कारित किये जाने का दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन के लिए-

(i) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई सीमित दायित्व भागिता, फर्म, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या सहकारी सोसाइटी, न्यास या अन्य व्यष्टि-संगम सम्मिलित है; और

(ii) सीमित दायित्व भागिता या फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

45. कतिपय अपराधों का दुष्प्रेरण.- जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है वह, उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा चाहे वह अपराध उक्त दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप कारित किया गया है या नहीं।

46. बोली लगाने से विवर्जन.- (1) बोली लगाने वाला राज्य सरकार द्वारा विवर्जित किया जायेगा यदि वह -

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 49) के अधीन; या

(ख) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.45) या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन, लोक उपापन संविदा के निष्पादन के भाग के रूप में जीवन या सम्पत्ति की हानि कारित करने या लोक स्वास्थ्य की आशंका कारित करने के,

किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन विवर्जित बोली लगाने वाला उस तारीख जिसको वह विवर्जित किया गया था, से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए किसी उपापन संस्था की उपापन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं होगा।

(3) यदि उपापन संस्था यह पाती है कि किसी बोली लगाने वाले ने धारा 11 के निबंधनों में विहित सत्यनिष्ठा संहिता का भंग किया है तो वह बोली लगाने वाले को तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विवर्जित कर सकेगी।

(4) जहाँ किसी बोली लगाने वाले की सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या, यथास्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

(5) राज्य सरकार या, यथास्थिति, कोई उपापन संस्था इस धारा के अधीन किसी बोली लगाने वाले को तब तक विवर्जित नहीं करेगी जब तक कि ऐसी बोली लगाने वाले को सुनने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

47. अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति का आवश्यक होना.- कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध, जिसका किसी लोक सेवक द्वारा अपने नियोजन के दौरान कारित किया जाना अभिकथित किया गया हो, का संज्ञान,-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति, जो राज्य के मामलात के संबंध में नियोजित है और राज्य सरकार की स्वीकृति के सिवाय अपने पद से हटाये जाने योग्य नहीं है, उस सरकार की;

(ख) किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में उसको पद से हटाने के लिए सक्षम अधिकारी की,

पूर्व सहमति के सिवाय, नहीं लेगा।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

48. वृत्तिक मानकों, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की आवश्यकता.- राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन उपापन संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने वाले पदधारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले वृत्तिक मानक विहित कर सकेगी और उसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण आवश्यकताएं विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

49. गोपनीयता.- (1) इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, किन्तु जानकारी के प्रकटीकरण का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था किसी सूचना को प्रकट नहीं करेगी यदि ऐसे प्रकटीकरण से, उसकी राय में,-

(क) किसी भी विधि के प्रवर्तन में अड़चन आने;

(ख) भारत की सुरक्षा या सामरिक हितों के प्रभावित होने;

(ग) बोली लगाने वालों के बौद्धिक सम्पत्ति संबंधी अधिकारों या विधिसम्मत, वाणिज्यिक हितों के प्रभावित होने;

(घ) उपापन संस्था के विधिसम्मत् वाणिज्यिक हितों के, उन स्थितियों में, जिनमें वह स्थिति सम्मिलित है जब उपापन किसी ऐसी परियोजना से संबंधित हो जिसमें उपापन संस्था को कोई प्रतियोगी बोली लगानी हो, या उपापन संस्था के बौद्धिक संपत्ति संबंधी अधिकारों के प्रभावित होने,

की संभावना है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय उपापन संस्था, उपापन प्रक्रिया से संबंधित समस्त संसूचना को बोली लगाने वालों के साथ ऐसी रीति से बरतेगी ताकि प्रतियोगी बोली लगाने वालों या किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति, जो ऐसी सूचना तक पहुंच रखने के लिए प्राधिकृत नहीं है, को उसके प्रकटीकरण से बचा जा सके।

(3) उपापन संस्था, बोली लगाने वालों और उप-संविदाकरों, यदि कोई हों, पर उपापन संविदा के निबंधनों के पूरा करने के लिए सूचना, जिसके प्रकटीकरण से उप-धारा (1) का अतिक्रमण होता है, के संरक्षण के उद्देश्य से शर्तें अधिरोपित कर सकेगी।

50. राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ.- (1) राज्य सरकार राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना करेगी जिसका प्रमुख कोई ऐसा अधिकारी होगा जो शासन सचिव से अनिम्न रैंक का हो।

(2) राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

(क) धारा 17 के अधीन स्थापित राज्य लोक उपापन पोर्टल का संधारण करना और उसको आदिनांकित करना;

(ख) धारा 48 के निबंधनों में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की व्यवस्था करना;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(घ) लोक उपापन संबंधित मामलों के संबंध में उपापन संस्थाओं को इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों से संगत मार्गदर्शन देना;

(ङ) लोक उपापन के विभिन्न तरीकों का अध्ययन करना और मानक बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों की सिफारिश करना;

(च) धारा 28 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्थाओं को इलैक्ट्रोनिक उपापन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना; और

(छ) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों से संगत ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित किये जायें।

(3) राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को, किसी उपापन संस्था या किसी भी अन्य व्यक्ति से, लिखित नोटिस द्वारा, ऐसी सूचना, जो इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक हो, भेजने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

51. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण.- (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों, आदेशों या अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अधीन या अनुसरण में कार्य करने वाली किसी उपापन संस्था का प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति का कोई भी सदस्य भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

(2) कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाहियां इस अधिनियम के अधीन किसी भी कृत्य के निर्वहन में कार्य करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या किसी भी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसे कार्य द्वारा कारित या कारित होना संभाव्य किसी भी हानि या नुकसानी के लिए नहीं होंगी जो सदभावपूर्वक और इस अधिनियम के

उपबंधों के अनुसरण में किया गया है या किये जाने के लिए आशयित है।

(3) इस धारा के प्रयोजनार्थ "सदभाव" का वही अर्थ होगा जो उसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.45) की धारा 52 के अधीन समनुदेशित किया गया है।

52. अन्य विधियों का लागू होना.- इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

53. अधिनियम के अधीन संदेय राशियों की वसूली.- इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति द्वारा संदेय कोई भी राशि भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

54. नोटिस, दस्तावेजों और आदेशों की तामील.- (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई नोटिस, दस्तावेज या आदेश-

(क) किसी भी व्यष्टि पर उसे-

(i) उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से परिदत्त करके; या

(ii) उस व्यक्ति के अंतिम ज्ञात निवास-स्थान या कारबार के पते पर छोड़ कर या डाक द्वारा भेजकर;

(ख) उसे किसी निगमित निकाय पर, उस निगमित निकाय के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर छोड़कर या डाक द्वारा भेजकर,

तामील किया हुआ समझा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जब उप-धारा (1) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाये तो तामील, दस्तावेज, नोटिस या, यथास्थिति, आदेश समुचित रूप से संबोधित करके, तैयार करके और डाक में डालकर, की गयी समझी जायेगी।

55. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और उपापनों या उपापन संस्थाओं के विभिन्न वर्गों या प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या उनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

(i) धारा 3 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत आने वाले उपापन;

(ii) धारा 5 के अधीन उपापन के लिए आवश्यकता का अवधारण करते समय विनिश्चित किये जाने वाले मामले;

(iii) परिस्थितियां, जिनमें धारा 6 के अधीन बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित किया जा सकेगा;

(iv) धारा 7 के अधीन हित के विरोध की स्थितियों की पहचान और उनसे निपटना;

(v) धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के अधीन बोली लगाने वालों द्वारा पूरी की जाने वाली अतिरिक्त अर्हताएं;

(vi) धारा 9 के अधीन उपापन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों की समय-सीमा;

(vii) धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (झ) के अधीन रखी जानी अपेक्षित उपापन कार्यवाहियों की सूचना या अभिलेख;

(viii) धारा 11 के अधीन सत्यनिष्ठा संहिता;

(ix) धारा 12 के अधीन उपापन की विषय वस्तु का विवरण तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त;

(x) धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन मूल्यांकन की कसौटी;

(xi) धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन परीक्षणों और जांचों का अभिलेख रखना;

(xii) धारा 15 के अधीन कीमत की बातचीत से संबंधित उपबंध;

(xiii) धारा 16 के अधीन उपापन संविदाओं के निबंधन और शर्तें;

(xiv) धारा 17 के अधीन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना;

(xv) धारा 18 के अधीन पूर्व-अर्हता के लिए प्रक्रिया;

(xvi) धारा 19 के अधीन बोली लगाने वालों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया और शर्तें;

(xvii) धारा 20 के अधीन बोली दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु से संबंधित उपबंध;

(xviii) धारा 20 की उप-धारा (3) के अधीन बोली दस्तावेजों के प्ररूप सहित उनकी मानक शर्तें;

(xix) धारा 24 के अधीन, इन प्रयोजनों के लिए समितियां गठित करने सहित, बोलियाँ प्रस्तुत करने, खोलने, और उनका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया;

(xx) धारा 28 के अधीन उपापन की विभिन्न पद्धतियों के संबंध में प्रक्रिया;

(xxi) धारा 29 की उप-धारा (5) के अधीन बोली के प्रकाशन की रीति;

(xxii) धारा 34 के अधीन कोटेशनों और मौके पर क्रय अनुरोधों के माध्यम से उपापन के लिए धनीय-मूल्य से संबंधित उपबंध;

(xxiii) धारा 38 के अधीन अपीलों के लिए प्ररूप, रीति और फीस;

(xxiv) धारा 38 के अधीन अपील सुनते समय अनुसरण की जाने वाली कार्रवाई;

(xxv) धारा 48 के अधीन उपापन मामलों में कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों के लिए वृत्तिक मानक, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण;

(xxvi) बोली प्रतिभूतियों, कार्यसंपादन प्रतिभूतियों, संकर्मों के निरीक्षण, मालों और सेवाओं के निरीक्षण, बोलियों के उपान्तरण और प्रत्याहरण और संविदा प्रबन्धन से संबंधित उपबंध;

(xxvii) कोई भी अन्य विषय जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो।

(3) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की किसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, कोई प्रभाव नहीं रखेंगे, तथापि, ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकरण से उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

56. मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करने की शक्ति.-(1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपापन संस्था, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया या साधारण प्ररूपों या मानक विनिर्देशों और निदेशिका के ब्यौरे देते हुए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किसी उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये समस्त मार्गदर्शक सिद्धान्त, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की किसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र के, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या उसके ठीक अगले सत्र के अवसान से पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्त में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प पारित करता है कि ऐसे कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे मार्गदर्शक

सिद्धान्त केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, कोई प्रभाव नहीं रखेंगे, तथापि, ऐसे किसी उपान्तरण या बातिलकरण से उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

57. कठिनाइयों का निराकरण.-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके इस प्रकार किये जाने पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

58. छूट देने की शक्ति.- (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा और ऐसे आदेश में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी भी उपापन या उपापनों के किसी वर्ग या प्रवर्ग या उपापन संस्था के किसी वर्ग या प्रवर्ग को इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी उपबंधों की प्रयोज्यता से छूट दे सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

59. व्यावृत्तियाँ.- इस अधिनियम में उपबंधित किये गये मालों, सेवाओं या संकर्मों के उपापन से संबंधित समस्त नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं, विभागीय संहिताएं, निदेशिकाएं, उप-विधियाँ, कार्यालय ज्ञापन या परिपत्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवृत्त हों, उनके इस अधिनियम के उपबंधों से संगत होने की सीमा तक तब तक प्रवृत्त बने

रहेंगे जब तक कि उनको इस अधिनियम के अधीन बनाये या जारी किये गये किसी भी नियम, मार्गदर्शक सिद्धान्त, अधिसूचना या, यथास्थिति, आदेश द्वारा निरसित या अधिक्रमित नहीं कर दिया जाता।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 22, 2012

No. F. 2 (27) Vidhi/2/2012.–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Lok Upapan Main Pardarshita Adhiniyam, 2012 (2012 Ka Adhiniyam Sankhyank 21):–

(Authorized English Translation)

THE RAJASTHAN TRANSPARENCY PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012

(Act No. 21 of 2012)

[Received the assent of the Governor on the 21st day of May, 2012]

An
Act

to regulate public procurement with the objectives of ensuring transparency, fair and equitable treatment of bidders, promoting competition, enhancing efficiency and economy and safeguarding

integrity in the procurement process and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas, the State Government considers it necessary to ensure the highest standards of transparency, accountability and probity in the public procurement process and to enhance public confidence in public procurement.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(i) "bid" means a formal offer made in pursuance of an invitation by a procuring entity and includes any tender, proposal or quotation;

(ii) "bidder" means any person participating in a procurement process with a procuring entity;

(iii) "bidder registration documents" means the documents issued by a procuring entity, including any amendments thereto, that set out the terms and conditions of registration proceedings and includes the invitation to register;

(iv) "bidding documents" means documents issued by the procuring entity, including any amendments thereto, that set out the terms and conditions of the given procurement and includes the invitation to bid;

(v) "bid security" means a security provided to the procuring entity by a bidder for securing the fulfilment of any obligation in terms of the provisions of the bidding documents;

(vi) "electronic reverse auction" means an online real-time purchasing technique utilised by the procuring entity to select the successful submission, which involves presentation by bidders of successively lowered bids during a scheduled period of time and the automatic evaluation of bids;

(vii) "goods" includes all articles, material, commodities, electricity, livestock, furniture, fixtures, raw material, spares, instruments, software, machinery, equipment, industrial plant, vehicles, aircraft, ships, railway rolling stock and any other category of goods, whether in solid, liquid or gaseous form, purchased or otherwise acquired for the use of a procuring entity as well as services or works incidental to the supply of the goods if the value of services or works or both does not exceed that of the goods themselves;

(viii) "invitation to bid" means a document published by the procuring entity inviting bids relating to the subject matter of procurement and any amendment thereto and includes notice inviting tender and request for proposal;

(ix) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(x) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(xi) "pre-qualification" means the procedure set out to identify, prior to inviting bids, the bidders that are qualified;

(xii) "pre-qualification documents" means the documents issued by a procuring entity, including any amendments thereto, that set out the terms and conditions of the pre-qualification proceedings and includes the invitation to pre-qualify;

(xiii) "procurement" or "public procurement" means the acquisition by purchase, lease, licence or otherwise of works, goods or services, including award of Public Private Partnership projects, by a procuring entity whether directly or through an agency with which a contract for procurement services is entered into, but does not include any acquisition without consideration, and "procure" or "procured" shall be construed accordingly;

(xiv) "procurement contract" means a contract entered into between the procuring entity and a successful bidder concerning the subject matter of procurement;

(xv) "procurement process" means the process of procurement extending from the issue of invitation to pre-qualify or to register or to bid till the award of the procurement contract or cancellation of the procurement process, as the case may be;

(xvi) "procuring entity" means an entity referred to in sub-section (2) of section 3;

(xvii) "Public Private Partnership" means an arrangement between the State Government, statutory entity or any other government owned entity on one side and a private sector entity on the other, for the provision of

public assets or public services or both, through investments being made or management being undertaken, or both investments being made and management being undertaken, by the private sector entity, for a specified period of time, where there is well defined allocation of risk between the private sector and the State Government, statutory entity or any other government owned entity, as the case may be, and the private entity receives performance linked payments that conform (or are benchmarked) to specified and pre-determined performance standards, measurable by the State Government, statutory entity or any other government owned entity, as the case may be, or its representative;

(xviii) "rate contract" means an agreement between a procuring entity and one or more bidders which specifies the terms and conditions including the price, for the supply of a subject matter of procurement required on a recurring basis;

(xix) "registered bidder" means any bidder who is on a list of registered bidders of the procuring entity maintained under section 19;

(xx) "services" means any subject matter of procurement other than goods or works and includes physical, maintenance, professional, intellectual, consultancy and advisory services or any service classified or declared as such by a procuring entity and does not include appointment of any person made by any procuring entity;

(xxi) "subject matter of procurement" means any item of procurement whether in the form of goods, services or works;

(xxii) "works" mean all works associated with the construction, reconstruction, site preparation, demolition, repair, maintenance, or renovation or railways, roads, highways or a building, an infrastructure, or structure or an installation or any construction work relating to excavation, drilling, installation of equipment and materials, as well as services incidental to the works if the value of those services does not exceed that of the works themselves.

3. Application.- (1) This Act shall apply to all procuring entities referred to in sub-section (2).

(2) For the purposes of this Act, "procuring entity" means,-

(a) any department of the State Government or its attached or subordinate office;

(b) any State Public Sector Enterprise owned or controlled by the State Government;

(c) any body established or constituted by the Constitution whose expenditure is met from the Consolidated Fund of the State;

(d) any body or board or corporation or authority or society or trust or autonomous body (by whatever name called) established or constituted by an Act of the State Legislature or a body owned or controlled by the State Government;

(e) any other entity which the State Government may, by notification, specify to be a procuring entity for the purpose of this Act, being an entity that receives substantial financial assistance from the State Government in so far as the utilisation of such assistance towards procurement is concerned.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) provisions of this Act shall apply to a procuring entity subject to any obligation of the State Government under or arising out of any agreement,-

(a) entered into by the Central Government with any other country or with an intergovernmental international financing institution; or

(b) to which it is party with one or more other State Governments or with the Central Government,

and the requirements of such agreement shall prevail over the provisions of this Act.

(4) Subject to such rules as may be made in this behalf consistent with the provisions of sections 4 and 11, the provisions of Chapters II and III shall not apply to any procurement the estimated cost or value of which is less than one lakh rupees or such higher value as the State Government may, by notification, specify.

CHAPTER II

Procurement

A. General Principles

4. Fundamental principles of public procurement.- (1) In relation to a public procurement, the procuring entity shall have the responsibility and accountability to -

(a) ensure efficiency, economy and transparency;

(b) provide fair and equitable treatment to bidders;

(c) promote competition; and

(d) put in place mechanisms to prevent corrupt practices.

(2) Subject to the provision of sub-section (3) of section 3, every procuring entity shall carry out its procurement in accordance with the provisions of this Act and the rules and guidelines made thereunder.

5. Determination of need for procurement.- (1) In every case of a procurement made under this Act the procuring entity shall first determine the need for the subject matter of procurement.

(2) While assessing the need under sub-section (1), the procuring entity shall take into account the estimated cost of the procurement and also decide on the following matters, namely:-

(a) the scope or quantity of procurement, if determined;

(b) the method of procurement to be followed with justification thereof;

(c) need for pre-qualification, if any;

(d) limitation on participation of bidders in terms of section 6, if any applicable, and justification thereof; and

(e) any other matter as may be prescribed.

(3) The procuring entity shall maintain documents relating to the determination of the need for procurement under sub-section (1) and the assessment made under sub-section (2).

6. Participation of bidders.- (1) The procuring entity shall not establish any requirement aimed at limiting participation of bidders in the procurement process that discriminates against or among bidders or against any category thereof, except when authorised or required to do so by this Act or the rules or guidelines made thereunder or by the provisions of any other law for the time being in force.

(2) The State Government may, by notification in this behalf, provide for mandatory procurement of any subject matter of procurement from any category of bidders, and purchase or price preference in procurement from any category of bidders, on the following grounds, namely:-

(a) the promotion of domestic industry;

(b) socio-economic policy of the Central Government or the State Government;

(c) any other consideration in public interest in furtherance

of a duly notified policy of the Central Government or the State Government:

Provided that any such notification shall contain a reasoned justification for such mandatory or preferential procurement, the category of suppliers chosen and the nature of preference provided.

(3) The procuring entity, when inviting the participation of bidders in the procurement process, shall declare whether participation of bidders is limited pursuant to this section and on what ground and any such declaration may not ordinarily be later altered.

(4) Nothing in this section shall be construed as preventing the State Government or any procuring entity from imposing or enforcing measures limiting participation on account of the need -

(a) to protect public order, morality or safety;

(b) to protect human, animal or plant life or their health;

(c) to protect intellectual property;

(d) to protect the essential security and strategic interest of India.

7. Qualifications of bidders.- (1) A procuring entity may determine and apply one or more of the requirements specified in sub-section (2) for a bidder to be qualified for participating in a procurement process.

(2) Any bidder participating in the procurement process shall -

(a) possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding documents, pre-qualification documents or bidder registration documents, as the case may be, issued by the procuring entity;

(b) have fulfilled his obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority as may be specified in the bidding documents, pre-

qualification documents or bidder registration documents;

(c) not be insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and must not be the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

(d) not have, and their directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

(e) not have a conflict of interest as may be prescribed and specified in the pre-qualification documents, bidder registration documents or bidding documents, which materially affects fair competition;

(f) fulfil any other qualifications as may be prescribed.

(3) Subject to the right of bidders to protect their intellectual property or trade secrets the procuring entity may require a bidder to provide any such information or declaration as it considers necessary to make an evaluation in accordance with sub-section (1).

(4) Any requirement established pursuant to this section shall be set out in the pre-qualification documents or bidder registration documents, if any, and in the bidding documents and shall apply equally to all bidders.

(5) The procuring entity shall evaluate the qualifications of bidders only in accordance with the requirement specified in this section.

8. Obligations related to value of procurement.- (1) Every procuring entity shall obtain the approval of the authority which has the necessary financial powers before initiating a procurement process.

(2) A procuring entity shall neither divide its procurement nor use a particular valuation method for estimating the value of procurement so as to avoid its obligations under sub-section (1) or to limit competition among bidders or otherwise avoid its obligations under this Act:

Provided that in the interest of efficiency, economy and timely completion or supply, a procuring entity may, for reasons to be recorded in writing, divide its procurement into appropriate packages.

9. Time frame for processing.- (1) Subject to the rules as may be made by the State Government in this behalf, every procuring entity shall pre-determine a reasonable time frame for completion of various stages of the process of procurement and indicate the same in the pre-qualification documents, bidder registration documents or bidding documents, as the case may be.

(2) The procuring entity shall endeavour to adhere to the time frame indicated under sub-section (1) and in case of failure to do so extend such time frame for reasons to be recorded in writing.

10. Documentary record of procurement proceedings and of communications.- (1) The procuring entity shall maintain a record of its procurement proceedings, which shall include the following, namely:-

(a) documents pertaining to determination of need for procurement under section 5;

(b) description of the subject matter of the procurement under section 12;

(c) statement of the reason for choice of a procurement

method other than open competitive bidding under sub-section (4) of section 29;

(d) particulars of the participating bidders;

(e) requests for clarifications and any responses thereto including during pre-bid conferences;

(f) bid prices and other financial terms;

(g) summary of the evaluation of bids;

(h) details of any appeal under section 38, and the related decisions;

(i) any other information or record as may be prescribed.

(2) Any document, notification, decision or other information generated in the course of a procurement, including in connection with appeals under section 38 or in the course of a meeting, or forming part of the record of the procurement process, shall be in a form that provides a record of the content of the information and is accessible so as to be usable for subsequent reference.

(3) Subject to the provisions of the Right to Information Act, 2005 (Central Act No. 22 of 2005) or of any other law for the time being in force relating to retention of records, the procuring entity shall retain the documentary record indicated in sub-sections (1) and (2), for a reasonable period after the expiry of the procurement process or procurement contract, as the case may be, so as to enable audit or such other review.

11. Code of integrity for procuring entity and bidders.- (1) No officer or employee of a procuring entity or a person participating in a procurement process shall act in contravention of the code of integrity prescribed by the State Government.

(2) The code of integrity referred to sub-section (1) shall include provisions for,-

(a) prohibiting -

(i) any offer, solicitation or acceptance of any bribe, reward or gift or any material benefit, either directly or indirectly, in exchange for an

unfair advantage in the procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(ii) any omission, including a misrepresentation that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(iii) any collusion, bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(iv) improper use of information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process or for personal gain;

(v) any financial or business transactions between the bidder and any officer or employee of the procuring entity;

(vi) any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(vii) any obstruction of any investigation or audit of a procurement process;

(b) disclosure of conflict of interest;

(c) disclosure by the bidder of any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or of any debarment by any other procuring entity.

(3) Without prejudice to the provisions of Chapter IV, in case of any breach of the code of integrity by a bidder or prospective bidder, as the case may be, the procuring entity may take appropriate measures including-

(a) exclusion of the bidder from the procurement process;

(b) calling off of pre-contract negotiations and forfeiture or encashment of bid security;

(c) forfeiture or encashment of any other security or bond relating to the procurement;

(d) recovery of payments made by the procuring entity along with interest thereon at bank rate;

(e) cancellation of the relevant contract and recovery of compensation for loss incurred by the procuring entity;

(f) debarment of the bidder from participation in future procurements of the procuring entity for a period not exceeding three years under section 46.

12. Description of the subject matter of procurement.- (1) The description of the subject matter of procurement shall be set out in the pre-qualification documents, bidder registration documents and the bidding documents and shall -

(a) be such as to meet the essential needs of the procuring entity;

(b) to the extent practicable-

(i) be objective, functional, generic and measurable;

(ii) set out the relevant technical, quality and performance characteristics;

(iii) not indicate a requirement for a particular trade mark, trade name or brand;

(c) be drawn up in accordance with guidelines as may be prescribed.

(2) Where applicable, the technical specifications shall, to the extent practicable, be based on national technical regulations or recognised national standards or building codes, wherever such standards exist or in their absence, relevant International Standards may be used.

13. Single part and two part bids.- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules and guidelines made thereunder, a procuring entity may choose to-

(a) call for bids in which the technical, quality and performance aspects, commercial terms and conditions and the financial aspects including the price are contained in a single envelope; or

(b) if it is of the opinion that it is essential to evaluate the technical aspects of a bid before considering its financial aspect, call for bids in two envelopes, namely:-

(i) the techno-commercial bid containing the technical, quality and performance aspects, commercial terms and conditions; and

(ii) the financial bid containing financial aspects including the price.

(2) In case the procuring entity calls for bids in terms of clause (b) of sub-section (1), the techno-commercial bid shall be opened and evaluated first and the financial bid of only those bids which have been found technically acceptable, shall be opened and evaluated.

14. Criteria for evaluation.- (1) Save as otherwise provided in this Act or the rules or guidelines made thereunder or in any other law for the time being in force, the evaluation criteria shall relate to the subject matter of procurement and may include-

(a) the price;

(b) the cost of operating, maintaining and repairing goods or works, the time for delivery of goods, completion of works or provision of services, the characteristics of the subject matter of procurement, such as the functional characteristics of goods or works and the environmental characteristics of the subject matter, the terms of payment and of guarantees in respect of the subject matter of procurement; and

(c) where relevant, the experience, reliability and professional and technical competence of the bidder and of the personnel to be involved in providing the subject matter of procurement.

(2) Where considered necessary, the procuring entity may also specify trials, sample testing and other additional methods of technical evaluation of a bid:

Provided that the requirement of such trials, sample testing or additional methods of evaluation shall be indicated in the bidding documents and a record of such trials and testing shall be maintained in such manner as may be prescribed.

(3) To the extent practicable, all non-price evaluation criteria shall be objective and quantifiable.

(4) The criteria for evaluation of bids, including whether the requirements laid down in sub-section (2) of section 6 are applicable, shall be contained in the bidding documents.

(5) Where applicable, the relative weights to be attached to each criterion shall be specified in the bidding documents.

(6) No criteria or procedure, other than those mentioned in the bidding documents shall be used by the procuring entity in evaluating bids.

15. Price negotiations.- Save as otherwise provided in section 31 or section 35 or in such circumstances and subject to such conditions as may be prescribed, no price negotiation shall be held by a procuring entity with a bidder with respect to a bid presented by him.

16. Terms and conditions of contracts.- (1) The terms and conditions of the procurement contracts entered into shall be in accordance with the provisions of this Act, the applicable rules and the conditions indicated in the bidding documents.

(2) The State Government may prescribe standard terms and conditions of contract which shall be incorporated in the procurement contracts entered into by procuring entities as applicable.

17. State Public Procurement Portal.- *(1) The State Government shall set up and maintain a State Public Procurement Portal accessible to the public for posting matters relating to public procurement.*

(2) Each procuring entity shall cause the procurement related information to be published as required under this Act or the rules and guidelines made thereunder on the Portal referred to in sub-section (1).

(3) Without prejudice to the generality of sub-section (2), the State Public Procurement Portal shall provide access to the following information in relation to procurement governed by the provisions of this Act, namely:-

- *(a) pre-qualification documents, bidder registration documents, bidding documents and any amendments, clarifications including those pursuant to pre-bid conference, and corrigenda thereto;*
- *(b) list of bidders that presented bids including during pre-qualification or bidder registration, as the case may be;*
- *(c) list of pre-qualified and registered bidders, as the case may be;*
- *(d) list of bidders excluded under section 25, with reasons;*
- *(e) decisions under sections 38 and 39;*
- *(f) details of successful bids, their prices and bidders;*
- *(g) particulars of bidders who have been debarred by the State Government or a procuring entity together with the name of the procuring entity, cause for the debarment action and the period of debarment;*
- *(h) any other information as may be prescribed.*

18. Pre-qualification of bidders.- (1) A procuring entity may engage in a pre-qualification process, with a view to identifying, prior to inviting bids, the bidders that are qualified for any specified period of time.

(2) For the purpose of sub section (1), a procuring entity may invite offers from prospective bidders by giving wide publicity to the invitation to pre-qualify and shall publish the particulars of the bidders that are qualified on the State Public Procurement Portal.

(3) Where a procuring entity has undertaken a pre-qualification process in respect of any procurement, only such pre-qualified bidders shall be entitled to continue in the procurement proceedings.

(4) The procuring entity shall decide who is pre-qualified in accordance with section 7 and the criteria set out in the pre-qualification documents.

(5) Every pre-qualification process shall be carried out in such manner and in accordance with such procedure as may be prescribed.

19. Registration of bidders.- (1) With a view to establishing reliable sources for a subject matter of procurement or a class of procurement, which may be commonly required across procuring entities or repeatedly required by a procuring entity, a procuring entity may maintain a panel of registered bidders.

(2) For the purpose of sub-section (1), a procuring entity may invite offers from prospective bidders by giving wide publicity to the invitation to register and such registration shall be done in accordance with section 7, this section and the criteria set out in the bidder registration documents.

(3) The procuring entities shall update the list of registered bidders by allowing potential bidders to apply for registration on a continuous basis or by inviting offers for registration at least once a year.

(4) The State Government may prescribe the procedure and conditions for registration of bidders and the period for which such registration shall be valid.

(5) Where a procuring entity does not register bidders in respect of a subject matter of procurement, it may use the list of registered bidders of any other procuring entity, if any.

(6) The results of the registration process shall be intimated to the bidders and the list of registered bidders for the subject matter of procurement shall be published in the State Public Procurement Portal.

20. Contents of bidding documents.- (1) Subject to the rules as may be made in this behalf, the invitation to bid shall contain-

(a) a brief description of subject matter of procurement;

(b) in case of procurement of -

(i) goods, its specifications including the nature, quantity and place of delivery;

(ii) works, the nature and location of the works;

(iii) services, the nature of the services and the location where they are to be provided;

(c) any notice of limitation to participation of bidders in terms of section 6;

(d) the manner, date and time for presentation of bids;

(e) any other information which is considered by the procuring entity relevant for the purpose.

(2) The detailed bidding document shall contain the particulars included in the invitation to bid, the criteria for evaluation of bids, the terms of the procurement contract, and such further information as may be prescribed, which may be necessary for the bidders to submit their bids.

(3) The State Government may prescribe standard conditions to be included in bidding documents including its form.

21. Time frame for submission of bids.- (1) While fixing the last date by which bids are to be submitted by the bidders, the procuring entity shall take into account-

(a) the need of the bidders for having a reasonable time to prepare and submit their bids; and

(b) the time frame envisaged for procurement.

(2) Subject to the provisions of section 23, the maximum time as may be allowed for submission of bids shall be the same for all bidders.

22. Pre-bid clarifications.- (1) Any bidder may, in writing, seek clarifications from the procuring entity in respect of the bidding documents.

(2) The period within which the bidders may seek clarifications under sub-section (1) and the period within which the procuring entity shall respond to such requests for clarifications shall be specified in the bidding documents.

(3) All requests for clarifications and responses thereto shall be intimated to all bidders and where applicable, shall be published on the State Public Procurement Portal.

(4) A procuring entity may hold a pre-bid conference to clarify doubts of potential bidders in respect of a particular procurement and the records of such conference shall be intimated to all bidders and where applicable, shall be published on the State Public Procurement Portal.

23. Changes to bidding documents.- (1) In case any modification is made to the bidding documents or any clarification is issued which materially affects the terms contained in the bidding documents, the procuring entity shall publish such modification or clarification in the same manner as the publication of the initial bidding documents.

(2) In case a clarification or modification is issued to the bidding documents, the procuring entity may, prior to the last date for submission of bids, extend such time limit in order to allow the bidders sufficient time to take into account the clarification or modification, as the case may be, while submitting their bids.

(3) Any bidder who has submitted his bid in response to the original invitation shall have the opportunity to modify or re-submit it, as the case may be, within the period of time originally allotted or such extended time as may be allowed for submission of

bids, when changes are made to the bidding documents by the procuring entity:

Provided that the bid last submitted or the bid as modified by the bidder shall be considered for evaluation.

24. The procedure relating to submission, opening and evaluation of bids.- Subject to the terms and conditions as may be laid down in the bidding documents, submission of bids, opening and evaluation of bids, including constitution of committees for those purposes shall be in accordance with the rules as may be prescribed.

25. Exclusion of bids.- (1) A procuring entity shall exclude a bid if-

(a) the bidder is not qualified in terms of section 7;

(b) the bid materially departs from the requirements specified in the bidding documents or it contains false information;

(c) the bidder submitting the bid, his agent or any one acting on his behalf, gave or agreed to give, to any officer or employee of the procuring entity or other governmental authority a gratification in any form, or any other thing of value, so as to unduly influence the procurement process;

(d) a bidder, in the opinion of the procuring entity, has a conflict of interest materially affecting fair competition.

(2) A bid shall be excluded as soon as the cause for its exclusion is discovered.

(3) Every decision of a procuring entity to exclude a bid shall be for reasons to be recorded in writing.

(4) Every decision of the procuring entity under sub-section (3) shall be -

(a) communicated to the concerned bidder in writing;

(b) published on the State Public Procurement Portal.

26. Cancellation of the procurement process.- (1) A procuring entity may, for reasons to be recorded in writing, cancel the process of procurement initiated by it -

(a) at any time prior to the acceptance of the successful bid; or

(b) after the successful bid is accepted in accordance with sub-sections (4) and (5).

(2) The procuring entity shall not open any bids or proposals after taking a decision to cancel the procurement and shall return such unopened bids or proposals.

(3) The decision of the procuring entity to cancel the procurement and reasons for such decision shall be immediately communicated to all bidders that participated in the procurement process.

(4) If the bidder whose bid has been accepted as successful fails to sign any written procurement contract as required, or fails to provide any required security for the performance of the contract, the procuring entity may cancel the procurement process.

(5) If a bidder is convicted of any offence under this Act, the procuring entity may-

(a) cancel the relevant procurement process if the bid of the convicted bidder has been declared as successful but no procurement contract has been entered into;

(b) rescind the relevant contract or forfeit the payment of all or a part of the contract value if the procurement contract has been entered into between the procuring entity and the convicted bidder.

27. Award of contract.- (1) Subject to the provisions of section 25 and sub-section (2) of section 6, the procuring entity shall consider a bid as successful-

(a) where price is the only award criterion, the bid with the lowest bid price;

(b) where there are price and other award criteria, the most advantageous bid ascertained on the basis of the criteria and procedures for evaluating bids as specified in the bidding documents;

(c) where there are no financial criteria, the most advantageous bid ascertained on the basis of selected non-financial criteria or other parameters for evaluating bids as specified in the bidding documents.

(2) A bid shall be treated as successful in terms of sub-section (1), only after the competent authority has approved the procurement in terms of that bid.

(3) As soon as the procuring entity, with the approval of the competent authority, decides to accept a bid, it shall communicate that fact to all participating bidders and also publish the decision on the State Public Procurement Portal.

(4) While communicating acceptance of the bid, the procuring entity shall advise the successful bidder to complete the requirements within a specified time, including signing of any agreement or furnishing any security, if necessary, to conclude the procurement contract.

B. Methods

28. Methods of procurement.- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, a procuring entity may procure a subject matter of procurement by means of any of the following methods, namely:-

(a) Open Competitive Bidding; or
(b) Limited Bidding; or
(c) Two stage Bidding; or
(d) Single Source Procurement; or
(e) Electronic Reverse Auction; or
(f) Request for Quotations; or
(g) Spot Purchase; or

(h) Competitive negotiations; or

(i) Rate Contract; or

(j) any other method of procurement notified by the State Government satisfying the principles of procurement contained in this Act and which the State Government considers necessary in public interest.

(2) The State Government may, by notification, declare adoption of electronic procurement as compulsory for different stages and types of procurement, and on such declaration, every requirement for written communication under this Act shall be deemed to have been satisfied if it were done by electronic means.

(3) In procuring a subject matter of procurement, every procuring entity shall follow the detailed procedure in respect of the relevant method of procurement as may be prescribed.

29. Open competitive bidding.- (1) Every procuring entity shall prefer the open competitive bidding as the most preferred method of procurement to be followed.

(2) Open competitive bidding may also be followed in case of two stage bidding in terms of section 32, electronic reverse auction in terms of section 33 and rate contract in terms of section 36.

(3) The procuring entity may follow the pre-qualification procedure specified in section 18 and invite bids from pre-qualified bidders only.

(4) Where the procuring entity chooses a method of procurement other than the open competitive bidding, it shall record the reasons and circumstances thereof.

(5) In case of an open competitive bidding, the procuring entity shall invite bids by publishing an invitation to bid on the State Public Procurement Portal and in at least one such other manner as may be prescribed.

30. Limited bidding.- (1) A procuring entity may choose to procure the subject matter of procurement by the method of limited bidding, if -

(a) the subject matter of procurement can be supplied only by a limited number of bidders; or

(b) the time and cost involved to examine and evaluate a large number of bids may not be commensurate with the value of the subject matter of procurement; or

(c) owing to an urgency brought about by unforeseen events, the procuring entity is of the opinion that the subject matter of procurement cannot be usefully obtained by adopting the method of open competitive bidding; or

(d) procurement from a category of prospective bidders is necessary in terms of sub-section (2) of section 6.

(2) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for limited bidding shall include the following, namely:-

(a) the procuring entity shall issue an invitation to bid by writing directly, and on the same day, to-

(i) all the bidders who can supply the subject matter of procurement in terms of clause (a) of sub-section (1); or

(ii) all the bidders who are registered for the subject matter of procurement with the procuring entity or with any other procuring entity, where procuring entity uses the list of registered bidders of such other procuring entity in terms of sub-section (5) of section 19; or

(iii) an adequate number of bidders who can supply the subject matter of procurement selected in a non-discriminatory manner to ensure effective competition, in case of clause (b) of sub-section (1);

(b) a procuring entity may allow all prospective bidders who fulfil the qualification criteria laid down for the procurement, whether an invitation

to bid has been issued to such a bidder or not, to participate in the bidding process.

31. Single source procurement.- (1) A procuring entity may choose to procure the subject matter of procurement by the method of single source procurement, if-

(a) the subject matter of procurement is available only from a particular prospective bidder, or a particular prospective bidder has exclusive rights in respect of the subject matter of procurement, such that no reasonable alternative or substitute source exists, and the use of any other procurement method would therefore not be possible; or

(b) owing to a sudden unforeseen event, there is an extremely urgent need for the subject matter of procurement, and engaging in any other method of procurement would be impractical; or

(c) the procuring entity, having procured goods, equipment, technology or services from a supplier, determines that additional supplies or services must be procured from that supplier for reasons of standardization or because of the need for compatibility with existing goods, equipment, technology or services; or

(d) there is an existing contract for the subject matter of procurement which can be extended for additional goods, works or services and that the procuring entity is satisfied that no advantage would be obtained by further competition, the prices are reasonable and provisions for such extension exist in the original contract; or

(e) the procuring entity determines that the use of any other method of procurement is not appropriate for the protection of national security interests; or

(f) procurement from a particular prospective bidder is necessary in terms of sub-section (2) of section 6; or

(g) subject matter is of artistic nature; or

(h) subject matter of procurement is of such nature as requires the procuring entity to maintain confidentiality, like printing of examination papers.

(2) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for single source procurement shall include the following, namely:-

(a) the procuring entity shall solicit a bid from a single prospective bidder;

(b) the procuring entity may engage in negotiations in good faith with the bidder.

32. Two stage bidding.- (1) A procuring entity may choose to procure the subject matter of procurement by the method of two stage bidding, if-

(a) it is not feasible for the procuring entity to formulate detailed specifications or identify specific characteristics for the subject matter of procurement, without receiving inputs regarding its technical aspects from bidders; or

(b) the character of the subject matter of procurement is subject to such rapid technological advances and market fluctuations to make open competitive bidding unfeasible; or

(c) the procuring entity seeks to enter into a contract for the purpose of research, experiment, study or development, except where the contract includes the production of items in quantities sufficient to establish their commercial viability or to recover research and development costs; or

(d) the bidder is expected to carry out a detailed survey or investigation and undertake a

comprehensive assessment of risks, costs and obligations associated with the particular procurement.

(2) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for two stage bidding shall include the following, namely:-

(a) in the first stage of the bidding process, the procuring entity shall invite bids containing the technical aspects and contractual terms and conditions of the proposed procurement without a bid price;

(b) all first stage bids, which are otherwise eligible, shall be evaluated in accordance with the procedure laid down in the rules through an appropriate committee constituted by the procuring entity;

(c) the committee may hold discussions with the bidders and if any such discussion is held, equal opportunity shall be given to all bidders to participate in the discussions;

(d) in revising the relevant terms and conditions of the procurement, the procuring entity shall not modify the fundamental nature of the procurement itself, but may add, amend or delete any specifications of the subject matter of procurement or criterion for evaluation;

(e) notwithstanding anything contained in sections 29 and 30, in the second stage of the bidding process, the procuring entity shall invite bids from all those bidders whose bids at the first stage were not rejected, to present final bid with bid prices in response to a revised set of terms and conditions of the procurement;

(f) any bidder, invited to bid but not in a position to supply the subject matter of procurement due to

changes in the specifications, may withdraw from the bidding proceedings without forfeiting any bid security that he may have been required to provide or being penalised in any way, by declaring his intention to withdraw from the procurement proceedings with adequate justification.

33. Electronic reverse auction.- (1) A procuring entity may choose to procure a subject matter of procurement by the method of electronic reverse auction, if-

(a) it is feasible for the procuring entity to formulate a detailed description of the subject matter of the procurement;

(b) there is a competitive market of bidders anticipated to be qualified to participate in the electronic reverse auction, such that effective competition is ensured; and

(c) the criteria to be used by the procuring entity in determining the successful bid are quantifiable and can be expressed in monetary terms.

(2) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for electronic reverse auction shall include the following, namely:-

(a) the procuring entity shall invite bids to the electronic reverse auction by causing an invitation to be published in accordance with sub-section (5) of section 29 or issued in accordance with sub-section (2) of section 30, as the case may be;

(b) the invitation shall, in addition to the information as set out in section 20, include details relating to–

(i) access to and registration for the auction;

(ii) opening and closing of auction;

(iii) norms for conduct of the auction;

(iv) any other information as may be relevant to the method of procurement.

(3) Electronic reverse auction may also be used for obtaining the best financial bid in two stage bidding under section 32 and where the two part bid system is followed in terms of section 13.

34. Request for quotations and spot purchase.- (1) A procuring entity may choose to procure a subject matter of procurement of value below a monetary value as may be prescribed, by the method of request for quotations in the following situations, namely:-

(a) procurement of readily available commercial-off-the-shelf goods that are not specially produced to the particular description of the procuring entity and for which there is an established market; or

(b) physical services that are not specially provided to the particular description of the procuring entity and are readily available in the market; or

(c) procurement of any goods or works or services which are urgently required for maintenance or emergency repairs.

(2) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for request for quotations shall include the following, namely:-

(a) quotations shall be requested from as many potential bidders as practicable, subject to a minimum of three;

(b) each bidder shall be permitted to give only one quotation;

(c) the successful quotation shall be the lowest priced quotation meeting the needs of the procuring entity as set out in the request for quotations.

(3) A procuring entity may do a spot purchase of the subject matter of procurement specified in sub-section (1) through a purchase committee comprising three members within the

procuring entity and in such cases the purchase committee shall record a certificate to the effect that it is satisfied that the goods or services are of requisite quality and are priced at the prevailing market rate.

(4) Nothing contained in sections 5 to 10 (both inclusive), sections 12 to 27 (both inclusive) and Chapter III shall apply to purchases made under this section.

35. Competitive negotiations.- (1) A procuring entity may choose to procure a subject matter of procurement by the method of competitive negotiations, if -

(a) owing to an urgency brought about by unforeseen events, the procuring entity is of the opinion that the subject matter of procurement cannot be usefully obtained by adopting the method of open competitive bidding or any other method; or

(b) the subject matter of procurement involves livestock, cotton, oilseeds or such other agricultural produces whose prices fluctuate frequently and in the opinion of the procuring entity the subject matter of procurement cannot be usefully obtained by adopting the method of open competitive bidding or any other method.

(2) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for competitive negotiation shall include the following, namely:-

(a) purchase of the subject matter of procurement under this section shall be made through a purchase committee within the procuring entity and in such cases the purchase committee shall record a certificate to the effect that it is satisfied that the subject matter of procurement is of requisite quality and are priced at the prevailing market rate;

(b) to ensure effective competition, an adequate number, not being less than three, of potential bidders selected in a non-discriminatory manner shall be included in procurement process;

(c) an equal opportunity shall be given to all bidders to participate in the negotiations.

(3) Nothing contained in sections 5 to 10 (both inclusive), sections 12 to 27 (both inclusive) and Chapter III shall apply to purchases made under this section.

36. Rate contract.- (1) A procuring entity may choose to engage in a rate contract procedure in accordance with the rules as may be made in this behalf, where it determines that-

(a) the need for the subject matter of procurement is expected to arise on an indefinite or repeated basis during a given period of time;

(b) by virtue of the nature of the subject matter of procurement, the need for it may arise during a given period of time.

(2) A procuring entity may award a rate contract on the basis of open competitive bidding or by means of other procurement methods in accordance with the provisions of this Act.

(3) Subject to the rules as may be made in this behalf, the procedure for rate contract shall include the following, namely:-

(a) the manner in which rate contract is to be entered into, including selection of the method of bidding to be followed; and

(b) the manner in which a procurement contract has to be entered into using rate contract procedure.

37. Additional conditions for use of methods of procurement.- Notwithstanding anything contained in sections 30 to 36 (both inclusive), the State Government may through notification, add the conditions for the use of any of the methods of procurement mentioned in clauses (b) to (i) of sub-section (1) of

section 28, in a manner that is consistent with the principles of transparency and accountability.

CHAPTER III
Appeal

38. Appeals.- (1) Subject to section 40, if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of this Act or the rules or guidelines issued thereunder, he may file an appeal to such officer of the procuring entity, as may be designated by it for the purpose, within a period of ten days or such other period as may be specified in the pre-qualification documents, bidder registration documents or bidding documents, as the case may be, from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful in terms of section 27, the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bid before the opening of the financial bid, an appeal related to the matter of financial bid may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the officer designated under that sub-section shall, after affording a reasonable opportunity of being heard to the parties, determine as to whether or not the procuring entity has complied with the provisions of this Act, the rules and guidelines made thereunder and the terms of the pre-qualification documents, bidder registration documents or bidding documents, as the case may be, and pass an order accordingly which shall, subject to the order passed under sub-section (5), be final and binding on the parties to the appeal.

(3) The officer to whom an appeal is filed under sub-section (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of filing of the appeal.

(4) If the officer designated under sub-section (1) fails to dispose of the appeal filed under that sub-section within the period specified in sub-section (3), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed under sub-section (2), the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to an officer or authority designated by the State Government in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in sub-section (3) or of the date of receipt of the order passed under sub-section (2), as the case may be.

(5) On receipt of an appeal under sub-section (4), the officer or authority designated under that sub-section shall, after affording a reasonable opportunity of being heard to the parties, determine as to whether or not the procuring entity has complied with the provisions of this Act, the rules and guidelines made thereunder and the terms of the pre-qualification documents, bidder registration documents or bidding documents, as the case may be, and pass an order accordingly which shall be final and binding on the parties to the appeal.

(6) The officer or authority to which an appeal is filed under sub-section (4) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of filing of the appeal:

Provided that if the officer or authority to which an appeal is filed under sub-section (4) is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reason for the same.

(7) The officer or authority to which an appeal may be filed under sub-section (1) or (4) shall be indicated in the pre-qualification documents, bidder registration documents or bidding documents, as the case may be.

(8) Every appeal under sub-sections (1) and (4) shall be filed in such form and manner and shall be accompanied by such fee as may be prescribed.

(9) While hearing an appeal under this section, the officer or authority concerned shall follow such rules of procedure as may be prescribed.

(10) No information which would impair the protection of essential security interests of India, or impede the enforcement of law or fair competition, or prejudice the legitimate commercial interests of the bidder or the procuring entity, shall be disclosed in a proceeding under this section.

39. Stay of procurement proceedings.- While hearing of an appeal under section 38, the officer or authority hearing the appeal may, on an application made in this behalf and after affording a reasonable opportunity of hearing to the parties concerned, stay the procurement proceedings pending disposal of the appeal, if he, or it, is satisfied that failure to do so is likely to lead to miscarriage of justice.

40. Appeal not to lie in certain cases.- No appeal under section 38 shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement in terms of section 5;

(b) provisions limiting participation of bidders in the bid process in terms of the provisions of section 6;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations in terms of section 15;

(d) cancellation of a procurement process in terms of section 26;

(e) applicability of the provisions of confidentiality under section 49.

CHAPTER IV

Offences and Penalties

41. Punishment for taking gratification or valuable thing in respect of public procurement.- Whoever, being an officer or employee of the procuring entity acting in connection with any procurement process, accepts or obtains or agrees to accept or attempts to obtain from any person, for himself or for any other person, any gratification other than legal remuneration or any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate, in connection with such public procurement, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act or for showing or forbearing to show, in the exercise of his official functions, favour or disfavour to any person or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person, shall be punishable with imprisonment which shall be not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine.

42. Interference with procurement process.- (1) Whoever-

(a) interferes with or influences any procurement process with the intention of securing any wrongful gain or undue advantage for any prospective bidder or bidder; or

(b) interferes with the procurement process with the intention of causing any unfair disadvantage for any prospective bidder or bidder; or

(c) engages in any action or lobbying, directly or indirectly, with the objective of unduly restricting fair competition; or

(d) intentionally influences any procuring entity or any officer or employee thereof or wilfully or fraudulently makes any assertion or representation that would restrict or constrain fair competition in any procurement process; or

(e) engages a former officer or employee of a procuring entity as an employee, director, consultant, adviser or otherwise, within a period of one year after such former officer or employee was associated with a procurement in which the employer had an interest; or

(f) engages in any form of bid-rigging, collusive bidding or anticompetitive behaviour in the procurement process; or

(g) intentionally breaches confidentiality referred to in section 49 for any undue gain,

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to five years and shall also be liable to fine which may extend to fifty lakh rupees or ten per cent of the assessed value of procurement, whichever is less.

(2) A bidder who-

(a) withdraws from the procurement process after opening of financial bids;

(b) withdraws from the procurement process after being declared the successful bidder;

(c) fails to enter into procurement contract after being declared the successful bidder;

(d) fails to provide performance security or any other document or security required in terms of the bidding documents after being declared the successful bidder, without valid grounds,

shall, in addition to the recourse available in the bidding documents or the contract, be punished with fine which may extend to fifty lakh rupees or ten per cent of the assessed value of procurement, whichever is less.

43. Vexatious appeals or complaints.- Whoever intentionally files any vexatious, frivolous or malicious appeal or complaint under this Act, with the intention of delaying or defeating any procurement or causing loss to any procuring entity

or any other bidder, shall be punished with fine which may extend to twenty lakh rupees or five per cent of the value of procurement, whichever is less.

44. Offences by companies.- (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of having committed the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable for any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of having committed such offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purpose of this section-

(i) "company" means a body corporate and includes a limited liability partnership, firm, registered society or co-operative society, trust or other association of individuals; and

(ii) "director" in relation to a limited liability partnership or firm, means a partner in the firm.

45. Abetment of certain offences.- Whoever abets an offence punishable under this Act, whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punished with the punishment provided for the offence.

46. Debarment from bidding.- (1) A bidder shall be debarred by the State Government if he has been convicted of an offence -

(a) under the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act No. 49 of 1988); or

(b) under the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) or any other law for the time being in force, for causing any loss of life or property or causing a threat to public health as part of execution of a public procurement contract.

(2) A bidder debarred under sub-section (1) shall not be eligible to participate in a procurement process of any procuring entity for a period not exceeding three years commencing from the date on which he was debarred.

(3) If a procuring entity finds that a bidder has breached the code of integrity prescribed in terms of section 11, it may debar the bidder for a period not exceeding three years.

(4) Where the entire bid security or the entire performance security or any substitute thereof, as the case may be, of a bidder has been forfeited by a procuring entity in respect of any procurement process or procurement contract, the bidder may be debarred from participating in any procurement process undertaken by the procuring entity for a period not exceeding three years.

(5) The State Government or a procuring entity, as the case may be, shall not debar a bidder under this section unless such bidder has been given a reasonable opportunity of being heard.

47. Previous sanction necessary for prosecution.- No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act, alleged to have been committed by a public servant during the course of his employment, except with the previous sanction,-

(a) in case of a person who is employed in connection with the affairs of the State and is not removable from his office save by or with the sanction of the State Government, of that Government;

(b) in the case of any other person, of the authority competent to remove him from his office.

CHAPTER V

Miscellaneous

48. Requirement of professional standards, training and certification.- The State Government may prescribe professional standards to be achieved by officials dealing with procurement matters under this Act and specify suitable training and certification requirements for the same.

49. Confidentiality.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act but subject to the provisions of any other law for the time being in force providing for disclosure of information, a procuring entity shall not disclose any information if such disclosure, in its opinion, is likely to -

(a) impede enforcement of any law;

(b) affect the security or strategic interests of India;

(c) affect the intellectual property rights or legitimate commercial interests of bidders;

(d) affect the legitimate commercial interests of the procuring entity in situations that may include when the procurement relates to a project in which the procuring entity is to make a competitive bid, or the intellectual property rights of the procuring entity.

(2) Except as otherwise provided in this Act, a procuring entity shall treat all communications with bidders related to the procurement process in such manner as to avoid their disclosure to competing bidders or to any other person not authorised to have access to such information.

(3) The procuring entity may impose on bidders and sub-contractors, if there are any for fulfilling the terms of the procurement contract, conditions aimed at protecting information, the disclosure of which violates sub-section (1).

50. State Procurement Facilitation Cell.- *(1) The State Government shall establish a State Procurement Facilitation Cell which shall be headed by an officer not below the rank of a Secretary to the Government.*

(2) The State Procurement Facilitation Cell shall discharge the following functions, namely:-

(a) to maintain and update the State Public Procurement Portal set up under section 17;

(b) to arrange for training and certification specified in terms of section 48;

(c) to recommend to the State Government measures for effective implementation of the provisions of this Act;

(d) to provide guidance, consistent with the provisions of this Act and the rules and guidelines made thereunder, to the procuring entities with respect to the matter relating to public procurement;

(e) to study different methods of public procurement and prepare and recommend standard bidding documents, pre-qualification documents or bidder registration documents;

(f) subject to the provisions of sub-section (2) of section 28, encourage procuring entities to adopt electronic procurement; and

(g) to discharge such other functions as may be assigned to it by the State Government consistent with the provisions of this Act and the rules and guidelines made thereunder.

(3) The State Procurement Facilitation Cell shall have the power to require a procuring entity or any other person by notice in writing to furnish such information as may be necessary for performing its functions under this Act.

51. Protection of action taken in good faith.- (1) Every officer or employee of a procuring entity or any member of a committee constituted under this Act, acting under or in pursuance

of the provisions of this Act or rules, guidelines, orders or notifications made thereunder shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

(2) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or employee or any other person acting in the discharge of any function under this Act for any loss or damage caused or likely to be caused by any act which is done or intended to be done in good faith and in pursuance of the provisions of this Act.

(3) For the purposes of this section, 'good faith' shall have the same meaning as is assigned to it under section 52 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

52. Application of other laws.- The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

53. Recovery of sums payable under the Act.- Any sum payable by any person under this Act shall be recoverable as arrears of land revenue.

54. Service of notice, documents and orders.- (1) For the purposes of this Act a notice, document or order shall be deemed to be served-

(a) on any individual by -

(i) delivering it to the person personally; or

(ii) leaving it at, or sending it by post to, the address of the place of residence or business of the person last known;

(b) on a body corporate by leaving it at, or sending it by post to, the registered office of the body corporate.

(2) For the purposes of this Act, when the procedure laid down by sub-section (1) is followed, service shall be deemed to be effected by properly addressing, preparing and posting the document, notice or order, as the case may be.

55. Power of State Government to make rules.- (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act and different sets of rules may be made for different classes or categories of procurements or procuring entities.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(i) procurements covered under sub-section (4) of section 3;

(ii) matters to be decided while determining need for procurement under section 5;

(iii) circumstances in which participation of bidders may be limited under section 6;

(iv) identification and treatment of conflict of interest situations under section 7;

(v) additional qualifications to be fulfilled by bidders under clause (f) of sub-section (1) of section 7;

(vi) time frame for various stages of the process of procurement under section 9;

(vii) information or record of procurement proceedings required to be maintained under clause (i) of sub-section (1) of section 10;

(viii) code of integrity under section 11;

(ix) guidelines for drawing up the description of the subject matter of procurement under section 12;

(x) evaluation criteria under sub-section (1) of section 14;

(xi) maintenance of records of trials and testing under sub-section (2) of section 14;

(xii) provisions relating to price negotiations under section 15;

(xiii) terms and conditions of procurement contracts under section 16;

(xiv) information to be provided on the State Public Procurement Portal under section 17;

(xv) procedure for pre-qualification under section 18;

(xvi) procedure and conditions for registration of bidders under section 19;

(xvii) provisions relating to content of bidding documents under section 20;

(xviii) standard conditions of bidding documents including its form under sub-section (3) of section 20;

(xix) procedure for submission, opening and evaluation of bids, including constitution of committees for those purposes under section 24;

(xx) procedure in respect of various methods of procurement under section 28;

(xxi) manner of publication of bid under sub-section (5) of section 29;

(xxii) provisions relating to monetary value for procurement through request for quotations and spot purchase under section 34;

(xxiii) form, manner and fee for appeals under section 38;

(xxiv) procedure to be followed while hearing appeal under section 38;

(xxv) professional standards, training and certification for officials dealing with procurement matters under section 48;

(xxvi) provisions relating to bid securities, performance securities, inspection of works, goods and services, modification and withdrawal of bids, and contract management;

(xxvii) any other matter which is required to be prescribed by the State Government for carrying out the provisions of this Act.

(3) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the

State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

56. Power to issue guidelines.- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, a procuring entity may issue guidelines giving details of procedure or general forms or standard specifications and manuals required for giving effect to the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(2) All guidelines issued by a procuring entity under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such guidelines or resolves that any such guideline should not be made, such guideline shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

57. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.

58. **Power to exempt.-** (1) If the State Government is satisfied that it is necessary in public interest so to do, it may, by order published in the Official Gazette and for reasons to be recorded in such order, exempt any procurement or a class or category of procurements or a class or category of procuring entities from the application of all or any of the provisions of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the House of the State Legislature.

59. Savings.- All rules, regulations, orders, notifications, departmental codes, manuals, bye-laws, official memoranda or circulars relating to procurement of goods, services or works provided for in this Act, which are in force on the date of commencement of this Act, shall continue to be in force to the extent they are consistent with the provisions of this Act, until they are repealed or superseded by any rule, guideline, notification or order, as the case may be, made or issued under this Act.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

95

Government Central Press, Jaipur.